मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG) के अभिसरण (Convergence) हेतु संदर्भ पुस्तिका

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG) के अभिसरण (Convergence) हेतु संदर्भ पुस्तिका

संरक्षण एवं मार्ग–निर्देशन

श्री मनोज कुमार सिंह
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश शासन

श्री राज कुमार
आई.ए.एस.
निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण
संस्थान (प्रिट), उत्तर प्रदेश

सम्पादक

श्रीमती प्रवीणा चौधरी
संयुक्त निदेशक
प्रिट, उत्तर प्रदेश

संकलन एवं प्रस्तुतिकरण

श्री मनीष कुमार मिश्र
फैकल्टी, प्रिट

सुश्री अन्जली दत्ता
तकनीकी सलाहकार सी3

पृष्ठभूमि

वित्त आयोग ने भारी अनुदान के हस्तांतरण हेतु स्थानीय स्वशासन को उनके विकास की योजना बनाने के लिए सक्षम बनाया है। स्थानीय स्वशासन को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा अधिक ऊर्जा के साथ, अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना एक आवश्यकता–आधारित व्यापक योजना है जो कुशल और अनुकूलतम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए तैयार की गई है। शासकीय कोश के अन्तर्गत वित्त आयोग व मनरेगा हेतु हस्तान्तरित धनराशि और स्थानीय स्वशासन द्वारा सृजित धन के बावजूद ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के नियोजन और क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई भागीदारी प्रक्रियाओं के संबंध में बड़ी चुनौतियाँ स्पष्ट परिलक्षित होती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओ के स्वयं सहायता समूह को जीपीडीपी प्रक्रिया में शामिल करना इस लक्ष्य को हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। एसएचजी नेटवर्क अंतिम छोर तक पहुँचने एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मांगों को एक योजना के माध्यम से रखने का अवसर प्रदान करता है एवं इस योजना को हम **ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना (वी.पी.आर.पी)** के नाम से जानते है। यह योजना एक गहन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई है और इस प्रकार व्यापक एसएचजी नेटवर्क के आधार पर समुदाय की विविध आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि वी.पी.आर.पी को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार जीपीडीपी के साथ एकीकृत किया जाये जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांगें पूरी हों और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा सके। वीपीआरपी तैयार करना और जीपीडीपी में इसका एकीकरण समुदाय के सभी वर्गों की मांगों के प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, जिससे एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण योजना का निर्माण होता है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अभिसरण ● परिचय ● अभिसरण के घटक ● अभिसरण स्थापित करने के तरीके	7-8
2	उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था ● ग्राम सभा की बैठकें एवं कार्य ● ग्राम पंचायत का गठन, बैठकें, स्थायी समितियाँ एवं उनके कार्य ● ग्राम सचिवालय की स्थापना एवं प्रदान की जा रही सेवायें	9-16
3	सतत् विकास लक्ष्य एवं ग्राम पंचायत ● सतत् विकास लक्ष्य ● सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं आयोजित की जाने वाली कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियाँ ● महिला सभा एवं बाल सभा ● सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) आधारित ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना – GPDP) ● एलएसडीजी आधारित गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह की भूमिका	17-31
4	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ● परिचय ● निर्माण प्रक्रिया के चरण	32-35
5	ई–ग्राम स्वराज ● कार्ययोजना अपलोड हेतु आवश्यक चरण एवं सावधानियाँ ● पंचायत में लागू नवीन डिजीटल प्रयास ● पोर्टल पर नवीन परिवर्तन	36-44
6	स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG) ● परिचय ● समूह के उद्देश्य ● समूह के पंच सूत्र ● समूह के कार्य एवं दायित्व ● समूह के लाभ	45-48
7	ग्राम संगठन (वीओ) व क्लस्टर लेवल फोरम (सीएलएफ)/संकुल संघ ● वीओ/ग्राम संगठन का उद्देश्य व प्रक्रिया ● वीओ के दायित्व ● सीएलएफ/संकुल संघ की अवधरणा,उद्देश्य व आवश्यकता	49-53

	• संकुल संघ की विशेषताएं • एसएचजी के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के कार्य • आर्थिक विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह की भूमिका व साझेदारी	
8	विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान (वीपीआरपी)/ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना • वीपीआरपी के उद्देश्य • वीपीआरपी के घटक • वीपीआरपी का महत्व • जीपीडीपी एवं एसएचजी के नेटवर्क • वीपीआरपी तैयारी के चरण	54-56
9	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एवं विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान (VPRP) का एकीकरण • जीपीडीपी में एसएचजी का सहयोग • जीपीडीपी में एसएचजी नेटवर्क की भूमिका • वीपीआरपी के तहत योजनाएं व तैयारी • जीपीडीपी में वीपीआरपी का एकीकरण व फॉलोअप	57-73
10	ग्राम पंचायतों हेतु नवीन व्यवस्थाएं • गर्वमेंट ई–मार्केट प्लेस/जेम (GeM) • आईएसओ प्रमाणीकरण/ISO Certification • यूपीआई इनेबल्ड क्यूआरकोड के माध्यम से भुगतान	74-77

पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अभिसरण

परिचय:

पंचायती राज प्रणाली, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) भारत सरकार की तीन ऐसी प्रमुख पहल हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और सतत् विकास को बढ़ावा देना है। ये पहल व्यक्तिगत रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं, लेकिन बेहतर परिणाम प्राप्त करने और अपने प्रयासों के प्रभाव में वृद्धि हेतु अभिसरण की आवश्यकता है।

पंचायती राज शासन की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है जो स्थानीय समुदायों को उनके विकास से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। एसएचजी समुदाय–आधारित संगठन हैं जो महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एनआरएलएम का लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और आय–सृजन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका प्रदान करना है।

हालाँकि ये पहल अपने आप में सफल रही हैं परन्तु किसी लक्ष्य के त्वरित एवं बेहतर परिणाम के लिए विभागों का अभिसरण अत्यन्त आवश्यक है। इससे ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

पंचायती राज, एसएचजी और एनआरएलएम के बीच अभिसरण में निम्नलिखित घटक शामिल हैं–

1. **क्षमता निर्माण:** समुदायों के पास निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी निभाने और स्थायी आजीविका परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कौशल और ज्ञान विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। एसएचजी और एनआरएलएम लाभार्थियों को शासन, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हैं।

2. **संसाधन जुटाना:** किसी भी विकास की पहल को सफल बनाने के लिए संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थान एसएचजी और एनआरएलएम लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य संसाधनों का लाभ पहुँचाने में सहायता कर सकता है जो उनकी आजीविका गतिविधियों मे सहयोग प्रदान करेगी।

3. **सहयोग:** पंचायती राज संस्थानों, एसएचजी और एनआरएलएम के बीच सहयोग समान हित के क्षेत्रों की पहचान करने, संयुक्त परियोजनाओं को विकसित करने एवं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के समान लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है जिससे समुदाय लाभाविन्त होगा।

उदाहरण के लिए पंचायती राज संस्थान संभावित उद्यमियों की पहचान करने और उन्हें एनआरएलएम के माध्यम से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एसएचजी के साथ काम कर सकते हैं एवं इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह की महिलायें महिला एवं बाल हित आधारित गतिविधियों व महिला संबंधी मुद्दों में महिलाओं को जागरूक करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य कर सकती हैं।

4. **निगरानी और मूल्यांकन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहल प्रभावी है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं, निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। आजीविका परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समुदाय पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पंचायती राज संस्थान एसएचजी और एनआरएलएम के साथ काम कर सकते हैं।

विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण एक सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए एक संगठन के भीतर विभिन्न विभागों को एक साथ लाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

पंचायती राज, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच अभिसरण स्थापित करना निम्नलिखित तरीकों से हासिल किया जा सकता है:

1. **संचार:** प्रभावी संचार यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि विभिन्न विभाग एक साथ काम करें। विभागों को विचारों, सूचनाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए नियमित रूप से संवाद करना चाहिए।
2. **साझा उद्देश्य:** विभागों का एक साझा उद्देश्य होना चाहिए जो संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप हो। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हर कोई एक समान लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।
3. **सहयोग:** विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं और पहलों पर सहयोग करना चाहिए कि सभी के कौशल और विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
4. **क्रॉस–फंक्शनल टीमें:** विशिष्ट परियोजनाओं या पहलों पर काम करने के लिए विभिन्न विभागों के व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए क्रॉस–फंक्शनल टीमें बनाई जा सकती हैं।
5. **प्रशिक्षण और विकास:** विभागों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए जो कर्मचारियों को अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करने हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित कर सके।
6. **सूचना साझा करना:** इन संस्थाओं के बीच डेटा और सूचना साझा करने से व्याप्त कमियों और अभिसरण के अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

इस प्रकार पंचायतों के समग्र एवं सतत् विकास हेतु पंचायती राज, एसएचजी और एनआरएलएम के बीच अभिसरण स्थापित करने की आवश्यकता है। उक्त के अभिसरण से विभिन्न विभागों समान हित एवं लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति के लिए मुक्त संचार सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कष

पंचायती राज, एसएचजी और एनआरएलएम के बीच अभिसरण के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रत्येक प्रयास/कार्य से ग्रामीण समुदाय में सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे सतत् विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण(एल.एस.डी.जी.) के उद्देश्यों की प्राप्ति सहज रूप से शीघ्र ही सुनिश्चित की जा सकती है। अभिसरण के फलस्वरूप निर्धनतम एवं वंचित व कमजोर वर्ग की पहचान सम्भव हो सकेगी जिससे उनकी वरीयता का निर्धारण, समस्याओ की पहचान, उनकी माँगे/आवश्यकताएं एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओ का लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय सशक्त होगा एवं पंचायत के विकास के नियोजन में भागीदार बनेगा तथा इस प्रकार स्वयं के विकास के साथ–साथ ग्रामीण भारत के समग्र विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेगा।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए समर्पित है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को स्थानीय स्व–शासन की मौलिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाए। मिशन के अंतर्गत संविधान में भाग–9 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जिला, विकास खंड और ग्राम के स्तर पर पंचायतों का गठन किया जा रहा है और उन्हें संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस तरह के कार्य, जिम्मेदारियां और संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वे आम ग्रामीण लोगों की दिक्कतों और स्थानीय समस्याओं को दूर करने के काम कर सकें।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं

उपरोक्त दिया गया चित्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन के लिए स्थापित की गई पंचायत राज संस्थाओं को स्पष्ट करता है। चित्र से यह स्पष्ट है कि:

- ग्राम सभा लोगों की अपनी संस्था है और 18 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क जिनका नाम मतदाता सूची में है, वह इसके सदस्य हैं।
- ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर निर्मित होती है और प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है। प्रधान के अतिरिक्त यहां पंचायत सदस्य भी होते हैं।
- विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत नियुक्त होती है और
- जिले स्तर पर जिला पंचायत होती हैं।

ग्राम सभा की बैठकें

यह समझना जरूरी है कि ग्राम सभा का अस्तित्व, उसके दायित्व, कार्य व जिम्मेदारियों का निर्वहन तभी संभव हैं जब उसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं:

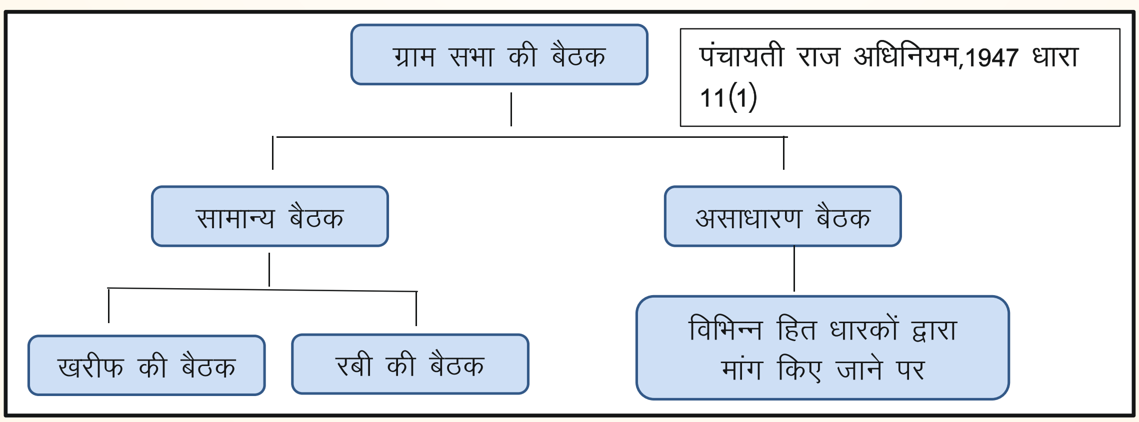

बैठक की सूचना

ग्राम सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना को ग्राम सभा के खास–खास स्थानों पर चस्पा किया जायेगा और बैठक के दिनांक, समय एवं स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवाकर की जायेगी।

पंचायती राज अधिनियम,1947 (नियम 32 से 37)

बैठक का कोरम

ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति/कोरम के लिए उसके सदस्यों की संख्या 1/5 होगी, किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

पंचायती राज अधिनियम,1947 धारा 11(2)

बैठक कौन बुलाएगा

- ग्राम सभा की असाधारण/सामान्य बैठक ग्राम प्रधान द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
- यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाये तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी।
- यदि ग्राम प्रधान बैठक न बुलाये तो जिला पंचायतराज अधिकारी 60 दिन के अन्दर ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।

पंचायती राज अधिनियम,1947 (नियम 33)

बैठक की अध्यक्षता

- स्थायी अध्यक्षता
  - प्रधान द्वारा
- अस्थायी अध्यक्षता (प्रधान की अनुपस्थिति में)
  - प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य
  - सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा मनोनीत सदस्य
  - बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा मनोनीत सदस्य

पंचायती राज अधिनियम,1947 (नियम 46)

ग्राम सभा के कार्य

- समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना।
- ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता पहुंचाना।
- वार्षिक कार्य योजना{(ग्राम पंचायत विकास योजना(जी.पी.डी.पी.)} की पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है।

बैठक की कार्यवाही

- पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाना और उसकी पुष्टि।
- पिछली बैठक के बाद हुए व्यय का हिसाब प्रस्तुत करना व उस पर विचार।
- बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र 8) पर अंकित की जाएगी और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पं) को बैठक के 07 दिन के अन्दर भेजी जायेगी।
- सदस्य केवल पंचायत से जुड़े सवाल ही पूछ सकते हैं कोई अनावश्यक/अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछेंगे।
- बैठक में लिए गए निर्णय पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि दो तिहाई सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र न दें।

पंचायती राज अधिनियम,1947 (नियम 36 – 40)

ग्राम पंचायत

- जहां तक संभव हो एक हजार की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है (धारा–11च), किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी राजस्व ग्राम को या उसके मजरे को तोड़ा नहीं जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जायेगी (धारा 12(1)(क))। प्रधान तथा 2/3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जनसंख्या के अनुसार पंचायत सदस्य निम्न प्रकार से होते हैं

- जनसंख्या एक हजार तक हो तो → 09 सदस्य होगे।
- जनसंख्या एक से दो हजार तक हो तो → 11 सदस्य होगे।
- जनसंख्या दो से तीन हजार तक हो तो → 13 सदस्य होगे।
- जनसंख्या तीन हजार से अधिक हो तो → 15 सदस्य होगे।

पंचायती राज अधिनियम,1947 (सदस्य धारा 12(1)(क))

ग्राम पंचायत की बैठक

- कार्य सम्पादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में एक बार होगी, किन्तु 02 लगातार बैठकों के बीच दो मास से अधिक का अन्तर नही होगा। प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से 30 दिनों के भीतर होगा।
- ग्राम पंचायत की बैठक सार्वजनिक स्थल में उस ग्राम में होगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थित हो।

पंचायती राज अधिनियम,1947 (नियम 31)

ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–26, 1947) के धारा–29 द्वारा 06 ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का गठन प्राविधानित है। स्थायी ग्राम पंचायत की प्रत्येक समिति में 06 सदस्य होगें।

समिति का नाम	समिति का कार्य	समिति का गठन
जैव विविधता प्रबंधन, नियोजन एवं विकास समिति	1. ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना। 2. कृषि, पशु पालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
शिक्षा समिति	1. प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
प्रशासनिक समिति	1. ग्राम पंचायत के कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय। 2. राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
निर्माण कार्य समिति	1. सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	1. चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। 2. अनु0 जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछडे वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण।	1 ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2 छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
जल प्रबन्धन समिति	1. राजकीय नलकूपों का संचालन। 2. पेयजल सम्बन्धी कार्य।	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।

कोरम

समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समितियों का सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी होगा। प्रत्येक समिति का कार्यवाही रजिस्टर होगा जिसमें बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी।

ग्राम सचिवालय एवं सर्विस डिलीवरी

ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एक सरकारी कार्यालय के रूप में जाना जाता है। ग्राम सचिवालय और इसकी सेवा प्रदान प्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के पास लाना, पहुंच में सुधार करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

ग्राम सचिवालय व व्यवस्थाएं

जन सेवा केन्द्र ग्राम सचिवालय का एक अहम भाग है और यहां से ही इसको चलाने का प्रावधान है। यह ऐसा स्थान होगा जहां पर गांव से आए प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जगह से सारी जानकारी मिलेगी और उनके कार्य भी हो जाएंगे।

ग्राम सचिवालय में **पंचायत सहायक** नियमित रूप से बैठते हैं और ग्राम वासियों को आवेदन पत्र भरने, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने और पंजीकरण प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं।

एक बार पंजीकृत होने के बाद, ग्राम सचिवालय सुनिश्चित करता है कि सेवाएं समय पर ग्रामीणों को प्रदान की जाएं। इसमें प्रमाण पत्र (जैसे, जन्म, मृत्यु, जाति), सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाना और शिकायतों का समाधान करना शामिल हो सकता है। आने वाले समय में यहां से लोग अपने बिजली, पानी या मोबाइल का बिल भी जमा कर सकेंगे।

शिकायत समाधान के लिए ग्राम सचिवालय ग्रामीणों की शिकायतों और अपराधों के समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। यहां शिकायतें प्राप्त करना, रिकॉर्ड करना, मुद्दों की जांच करना हैं और उन्हें सुलझाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शासनादेश संख्या–1541/ 33–3–2022–989/2021 दिनांक 02 अगस्त, 2022 के द्वारा पंचायत सहायक को विलेज लेवल इंटरप्रेनयोर (वी.एल.ई.) बनाए जाने तथा विभिन्न विभागों एवं ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कुल 243 सेवाओं को ग्राम सचिवालय के माध्यम से दिए जाने के सम्बंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

कॉमन सर्विस सेन्टर के पंजीकरण एवं संचालन हेतु एक पृथक से (ओएसआर) खाता खोला गया है जिसमें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनटाइड ग्रान्ट/राज्य वित्त आयोग से रू0 5000/–की धनराशि जमा की जानी है। ओ.एस.आर. खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा समय–समय पर वॉलेट रिचार्ज की कार्यवाही की जायेगी जिससे जनसामान्य को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑनलाइन नागरिक सेवाएं दी जा सकें।

ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापना एवं पंचायत सहायक की नियुक्ति के शासनदेश

ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापना एवं पंचायत सहायक की नियुक्ति के शासनदेश पत्रांक संख्या–42/2021ध्1235/333–2021–989/2021 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई 2021 तथा पंचायत सचिवालय संचालन एवं इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए शासनादेश पत्रांक संख्या 1939/33–3–2022–989/2021 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022।

ग्राम पंचायत सचिवालय के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक तथ्य

- उच्च गुणवत्ता के कार्य
- कार्यप्रणाली में पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन
- प्रभावी सर्विस डिलीवरी
- जन शिकायतों का त्वरित निवारण

ग्राम पंचायत सचिवालय पर विभागों द्वारा दी जा रही सेवाएं

क्र. स.	विभाग का नाम	योजना का नाम	सेवाएं	आवेदन की अद्यतन प्रक्रिया	सम्पर्क क्रियान्वयन का माध्यम	ग्राम सचिवालय की प्रस्तावित भूमिका
1	पंचायती राज विभाग एवं अन्य ग्राम स्तरीय विभाग	ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू जिसके माध्यम से 44 सेवाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन।	पेयजल स्वच्छता सफाई प्रकाश एवं सम्पर्कमार्ग से सम्बन्धित आधारभूत नागरिक सेवाएं	1. ग्राम प्रधान/सचिव को मैनुअल आवेदन या 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	प्रधान एवं सचिव/ वेबसाइट	लाभार्थी ग्राम सचिवालय में सीधे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
2	ग्राम्य विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना	आवास की उपलब्धता	पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार लाभार्थी का चयन।	प्रधान एवं सचिव	लाभार्थी ग्राम सचिवालय में लिखित आवेदन दे सकता है।
3	समाज कल्याण	1. शादी अनुदान एवं बीमारी अनुदान योजना/ छात्रवृत्ति/पारिवारिक लाभ के लिए आवेदन। 2. अत्याचारों के विषय में आवेदन	सामाजिक सुरक्षा	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन। 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर/ विभागीय पोर्टल	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
4	कृषि विभाग	मा0 मुख्यमंत्री खेत–खलिहान, अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना/बीज/सब्सिडी/ कृषक दुर्घटना सहायता योजना।	योजना की पात्रता हेतु आवेदन।	नजदीकी सी. एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।

क्र. स.	विभाग का नाम	योजना का नाम	सेवाएं	आवेदन की अद्यतन प्रक्रिया	सम्पर्क क्रियान्वयन का माध्यम	ग्राम सचिवालय की प्रस्तावित भूमिका
5	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग	विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना/ दंपति पुरस्कार –विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना	योजना की पात्रता हेतु आवेदन।	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन या लाभार्थी ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन दे सकता है।
6	राजस्व विभाग		जाति, आय, हैसियत प्रमाण पत्र खतौनी की नकल	नजदीकी सी. एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	कॉमन सर्विस सेंटर	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी व्यक्ति द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
7	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधि0		आधार पंजीकरण संशोधन।	प्राधिकरण द्वारा नियत संस्थाएं/सी. एस.सी. के माध्यम से	निजी संस्थाएं/ सी.एस.सी.	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन अथवा ग्राम सचिवालय को रजिस्ट्रार बनाया जाना।
8	चिकित्सा स्वास्थ्य ,व परिवार कल्याण		दिव्यांग प्रमाण पत्र कोविड टीकाकरण	नजदीकी सी. एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	कॉमन सर्विस सेंटर	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
9	खाद्य एवं रसद विभाग		नवीन राशन कार्ड	1. ग्राम प्रधान/सचिव को मैनुअल आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
10	श्रम विभाग		श्रमिक पंजीयन, अंशदान विभाग योजनाओं हेतु आवेदन	नजदीकी सी. एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	श्रम विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
11	स्टॉम्प एवं पंजीयन विभाग		ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन	नजदीकी सी. एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	कॉमन सर्विस सेंटर	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
12	शिक्षा विभाग		डुप्लीकेट मार्कशीट एवं ई–मार्कशीट आवेदन	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।

क्र. स.	विभाग का नाम	योजना का नाम	सेवाएं	आवेदन की अद्यतन प्रक्रिया	सम्पर्क क्रियान्वयन का माध्यम	ग्राम सचिवालय की प्रस्तावित भूमिका
13	ऊर्जा विभाग		नए कनेक्शन के लिए आवेदन	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
14	परिवहन विभाग		नया चालक, शिक्षार्थी लाइसेंस	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
15	मुख्यमंत्री लोक शिकायत विभाग		जनशिकायत	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
16	मत्स्य विभाग		मछुआ बीमा, प्रशिक्षण,बैंक ऋण	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।
17	पुलिस विभाग		शिकायत एवं पोस्टमार्टम हेतु आवेदन	1. नजदीकी सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 2. विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन।	कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभागीय वेबसाइट	कॉमन सर्विस सेंटर का पंचायत भवन में को–लोकेशन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ग्राम सचिवालय के माध्यम से आवेदन किया जाना।

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) आधारित ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना – GPDP)

193 देशों ने 17 लक्ष्यों के माध्यम से एक चिरस्थायी विश्व की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं।
सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने वाले इन 17 लक्ष्यों के आधार पर, वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई है और यह नए विकास की कार्य–योजना पर केंद्रित है – 'कोई भी पीछे न छूटे''

मानव जाति के रूप में, हम अपने और ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

एसडीजी 1 जनवरी 2016 को लागू हुए और 2030 तक चलेंगे। इस घोषणा पत्र मे दूरदर्शिता और सिद्धांत, 17 लक्ष्य (goals) और 169 टारगेट शामिल हैं।

''स्थानीय आर्थिक विकास, व सामाजिक न्याय'' के उद्देश्य से देश व प्रदेश निरन्तर प्रयासरत है। स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सभी लक्ष्य सतत् विकास लक्ष्यों (**Sustainable Development Goals-SDGs**) को ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।

सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्हीं लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी हैं। इनका विवरण निम्नवत् हैं:

गोल संख्या–1 सब जगह गरीबी का उसके सभी रूपों में अंत करना।	गोल संख्या–2 भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना।
गोल संख्या–3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदरूस्ती को बढ़ावा देना।	गोल संख्या–4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।
गोल संख्या–5 लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।	गोल संख्या–6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंध सुनिश्चित करना।
गोल संख्या–7 सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	गोल संख्या–8 सभी के लिए सतत्, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोज़गार तथा उचित कार्यों को बढ़ावा देना।
गोल संख्या–9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं	गोल संख्या–10 राष्ट्र के अंदर एवं उनके बीच असमानता को कम करना।

गोल संख्या–11 संवहनीय शहर और समुदाय	**गोल संख्या–12** सतत् उपभोग और उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना।
गोल संख्या–13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाना	**गोल संख्या–14** जलीय जीवों की सुरक्षा
गोल संख्या–15 स्थलीय पारिस्थितिकीय– तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबंधन करना, मरूस्थल–रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना तथा प्रतिवर्तित करना और जैव–विविधता की हानि को रोकना।	**गोल संख्या–16** सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
गोल संख्या–17 लक्ष्य प्राप्ति हेतु भागीदारी	

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

इसके लिये पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया हैः–

विषय (**Theme**) 01 : गरीबी मुक्त और अजीविका उन्नत गाँव

विषय (**Theme**) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (**Theme**) 03 : बाल मैत्री गाँव

विषय (**Theme**) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (**Theme**) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (**Theme**) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (**Theme**) 07 : सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव

विषय (**Theme**) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (**Theme**) 09 : महिला हितैषी गाँव

थीम संख्या	विषय	विज़न	स्थानीय लक्ष्य और टारगेट	गतिविधियॉ
1	गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गाँव	एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस	• पीडीएस, आईसीडीएस आदि सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> <u>(**Low Cost**)</u> • कृषि के प्रकार एवं लाभ, फसलों के प्रकार, कृषि में उपयोग होने वाली तकनीक, मौसमी फसलों एवं फलों की खेती, कृषि से संबंधित समस्यायें आदि पर समुदाय को जानकारी देना तथा जागरूक करना।

		न जाये। ऐसा गॉव जहाँ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।	• व्यक्तिगत/सामुहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन • यह सुनिश्चित करना कि लोगों (गरीब और कमज़ोर) को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है। • कृषि में लगे किसानों की आय में वृद्धि • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुँच सुनिश्चित करना • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना	• जनपदों एवं राज्यों में कृषि संबंधी उत्कृष्ट कार्यों से किसानों से सीखने एवं सिखाने हेतु एक्सपोज़र विजिट का आयोजन। • ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का दस्तावेजीकरण –विडियो निर्माण। • सिलाई, कढाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड बनाना, चप्पल बनाना आदि प्रशिक्षणों का पंचायत में नियमित आयोजन कराना। • उक्त गतिविधियों में आने वाले व्यय का वहन स्वयं ग्राम पंचायत अपने स्रोतों से किया जा सकता है। **<u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u>** **<u>No Cost</u>** • ग्रामसभा की बैठक ही कृषि सम्बंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए उपयुक्त लाभार्थी चयन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना। • रबी एवं खरीफ के मौसम में ग्राम सभा की बैठक में कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित कर समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी देना तथा नयी तकनीकों को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना। • स्वरोजगार एवं पुश्तैनी कार्यों को बढावा देना। • कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल में वृद्धि कराना। • मनरेगा के कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार 100 दिवस का अनिवार्य रोजगार दिये जाने की व्यवस्था करना। • सामाजिक पेंशन आदि का सभी पात्रों को लाभ दिलवाने हेतु कैम्प का आयोजन करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त विषय पर चर्चा।
2	स्वस्थ गाँव	सभी उम्र में सभी के लिये स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।	• उम्र के सापेक्ष कद कम होने को दूर करना। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को दूर करना। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज,	**<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u>** **<u>(Low Cost)</u>** ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) में उपलब्ध बजट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सम्बन्धी कार्य कराना जैसे– • ग्राम प्रधान, आशा एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति

			सब्जियॉ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा देना। • संचारी रोगों हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय। • मातृ मृत्यु, 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राविधान कराना।	(VHSNC) के सम्मिलित प्रयास से उपलब्ध धनराशि रू0 10,000 की कार्य योजना बनाना। • माह में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के आयोजन को सुनिश्चित करना। • छः माह मे एक बार हैल्थ कैम्प का आयोजन किया जाना। कैम्प के आयोजन का व्यय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की मद में उपलब्ध धनराशि रू0 10,000, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय अथवा ग्राम पंचायत की स्वयं की प्रशासनिक मद से किया जायेगा। • बेबी शो। • खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। • संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु दवाईयों का छिडकाव। • ओपन जिम का निर्माण। • साफ एवं स्वस्थ परिवार जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन। • योगा कैम्प का आयोजन। • ग्राम स्तर स्वयं सहायता समूहों/लोकल दुकानदारों/आँगनवाडी केन्द्रों/आशा/उपकेन्द्रों पर लो कॉस्ट सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता (विक्रेता तैयार करना। • इन्सीनेटर एवं अन्य संसाधनों का निर्माण। <u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(No Cost)</u>** • समुदाय को ए0एन0एम0 तथा आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रथम तीन माह में पंजीकरण, 04 एन्टीनेटल चेक अप, 02 पोस्टनेटल चेक अप, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वी0एच0एस0एन0 डी0 दिवसों में प्रतिभाग करने, किशोरियों द्वारा WIFS कार्यक्रम में 52 IFA गोलियों का सेवन, किशोरियों के वार्षिक हेल्थ चैकअप, कम वजन, गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिमाह आंगनवाडी सेन्टर पर वजन लक्षित लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें) को आँगनबाड़ी से सभी SNP सेवायें प्राप्त होने आदि पर जानकारी देना तथा समुदाय की

				भागीदारी के प्रति जागरूक करना। इसके लिए आशा, आंगनवाडी एवं ए0एन0एम0, दो **माह में एक बार वार्डवार बैठक का आयोजन करना** एवं इसे व्यवहार में लाने हेतु प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना। • टीकाकरण से ड्राप आउट परिवारों की आई0पी0सी0 का आयोजन करना। • कुपोषित बच्चों के परिवार की आई0पी0सी0 करके एन0आर0सी0 सेन्टर भेजना। • स्वच्छता हेतु श्रमदान का आयोजन। • आयोडीन नमक का उपयोग करने, को जागरूकता रैली करना। **ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना।**
3	बाल मैत्री गाँव	यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।	• स्वास्थ्य बच्चे सुनिश्चित करना • स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन • बाल विवाह संबंधी मामलों में कमी • तस्करी के शून्य मामले • 100% बाल श्रम मुक्त • बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। • PTAs/SMCs के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>Low Cost</u>** सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से तथा आगंनवाडी में वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार ही ई0सी0ई गतिविधियों के सम्पादन का अनुश्रवण समुदाय के माध्यम से सुनिश्चित करना। **गतिविधि:–** • विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगितायें के माध्यम से छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। • बाल अधिकार से सम्बन्धित जानकारियाँ दीवारों पर लिखवाना। • समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने परिवार नियोजन को अपनाने, कन्या के जन्म को धूम–धाम से मनाने, बालश्रम को रोकने, स्तनपान को बढावा देने, दहेज न लेने और न ही देने, आदि पर नियमित बैठक के माध्यमों से जागरूकता फैलाना। • उक्त आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद की धनराशि अथवा स्वयं के आय के स्रोत की धनराशि से किया जायेगा। बाल तस्करी रोकने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बाल पंजीकरण रजिस्टर का निर्माण एवं अनुश्रवण।

				<u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(No Cost)</u>** समुदाय के 03 वर्ष से अधिक के सभी बच्चे आगंनवाडी केन्द्र में जाने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में पढने वाले सभी बच्चों (लडके / लडकियाँ) का लगातार स्कूल जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। गतिविधिः– ● शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु वार्डवार बैठक का आयोजन (दो माह में एक बार प्रत्येक वार्ड में) ● बाल सभा का नियमित आयोजन करना एवं पंचायत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग करना एवं बच्चों के मुद्दों को बैठक में रखना। ● माता–पिता के साथ बाल अधिकार, एवं बाल श्रम पर, बाल अस्तित्व, बाल संरक्षण, बाल विकास एवं बाल सहभागिता की जानकारी प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना। ● ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं सक्रिय किया जाना।
4	पर्याप्त जल युक्त गाँव	सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्श्न वाला गांव, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी ज़रूरतों के लिए प्रचूर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकी	● सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की सुविधा। ● सभी की गॉव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच। ● व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। ● घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण पर तंत्र विकसित करना। ● 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्ति को सुनिश्चित करना। ● भूजल की कमी, आर्सेनिक संदूषण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को संबोधित	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(Low Cost)</u>** ● पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच मानकों के अनुसार वर्ष में दो बार किया जाना। **जाँच हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय धनराशि का प्रावधान करना।** ● जल संरक्षण के अच्छे उपाय करने वालों को प्रोत्साहन देना एवं महत्वपूर्ण दिवसों पर उनका सम्मान करना। ● स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा आंगनवाडी में स्वच्छ पेयजल के उपयोग पर छात्र एवं छात्राओं को महत्वपूर्ण दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि पर विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रेरित करना। **कार्यक्रम आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वयं की**

		तंत्र का संरक्षण	करना। ● सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखना।	प्रशासनिक मद की धनराशि से करेगी। __बिना लागत की गतिविधियॉ__ **__(No Cost)__** ● पेयजल के सदुपयोग के प्रति स्कूल के बच्चों की रैली। ● कक्षा 6 से ऊपर के सभी विद्यालयों में पेयजल के सदुपयोग एवं जल संरक्षण पर जागरूकता का 1 घंटा का आयोजन। ● स्वयं से प्रेरित व्यक्तियों की टीम बनाना एवं उनके जरियें ग्रामवासियों को जागरूक करना। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना। ● पानी की टंकियों की नियमित निगरानी करना। ● पानी को व्यर्थ बहने से बचानें के लिए जागरूकता बैठक करना। ● पंचायत में जल की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने के लिए 3R (Reduce, Reuse, Recharge) के तरीकों पर बैठक के माध्यम से जागरूक करना।

5	स्वच्छ और हरा भरा गाँव	हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृति की उदारता से हरा–भरा हो, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए लचीला हो	• गैर–अक्षय ऊर्जा का 100% उपयोग • 100% खुले में शौच मुक्त • पौधरोपण एवं नर्सरी बैड द्वारा हरियाली सुनिश्चित करना • ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम करें • प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना • जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना।	👉 <u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(Low Cost)</u>** • समुदाय को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर जागरूक करना तथा जानकारी देना। पंचायत समिति एवं समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रणनीति में निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है। • समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत में प्रत्येक हैण्डपम्प, एवं कुओं के पास सोख्ता गड्ढों का निर्माण एवं कुडेदान का निर्माण किया जाना। निर्माण कार्य में आने वाला व्यय का वहन समुदाय द्वारा श्रमदान, सहयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से किया जायेगा। • मेरा गाँव मैं ही संवारू जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। • पॉलिथीन तथा न गलने वाले कचरे का उपयोग न करने, पर जागरूकता रैली का आयोजन। 👉 <u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(No Cost)</u>** • विद्यालय में कक्षा के दौरान छात्र–छात्राओं को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी देना। जिन छात्र –छात्राओं के घरों में शौचालय नही है उन्हें अपने अभिभावकों को शौचालय बनाने हेतु कहने के लिए प्रोत्साहित करना। • ग्राम पंचायत में वार्डवार बैठकों का आयोजन कर समुदाय को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने के महत्व पर चर्चा करना। • श्रमदान के माध्यम से पौधारोपण कराना। • जैविक खेती एवं किचन गार्डन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना। • अक्षय ऊर्जा के स्रोतो को बढ़ावा देने जागरूकता बैठक। • खुले में शौच के दुष्परिणाम हेतु जागरूकता बैठकों का आयोजन करना।

6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।	• सड़क प्रकाश • पाइप पेयजल व्यवस्था • व्यक्तिगत शौचालय • ग्रामीण आवास • बस स्टैंड • पुलिया / पुल निर्माण • आंगनबाड़ी केन्द्र • ग्राम पंचायत सचिवालय • खेल के मैदानों की स्थापना। • पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सीएससी हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। • सभी मौसमों में सड़कें / सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता, सोलर स्ट्रीट लाइट, समुदाय स्तर पर सौर उर्जा का उपयोग, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। • उचित ढ़की हुई नालियां द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> <u>**(Low Cost)**</u> • परिसम्मपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाना। • पुराने भवनों की मरमम्त करवाकर किराये पर देना। • ग्रामीणों के द्वारा निजी कार्यो हेतु नाली एवं खडंजा को तोडने से पूर्व ग्राम पंचायत की अनुमति लेना। <u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> <u>**(No Cost)**</u> • बारात घर जैसी सम्मपत्तियों का किराया निर्धारण कराना। • बाजार एवं तालाबों की निलामी करवाना एवं पंचायतों की स्वयं की आय बढ़वाना। • स्कूल, आँगनवाडी, उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि भवनों का सदुपयोग, निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। • हैण्डपम्प, पानी की टोटी की सुरक्षा हेतु आसपास के परिवारों को जिम्मेदारी देना। • परिसम्मपत्तियों के संरक्षण हेतु जागरूकता बैठक करना। • सम्मपत्तियों की सुरक्षा हेतु फ्रन्टलाईन वर्करों की बैठक करना।
7	सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव	गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए।	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार। • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना। • एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नामांकन। • लाभकारी रोज़गार प्रदान करना। • उपर्युक्त बुनियादी ढांचा। • असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी।	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> <u>**(Low Cost)**</u> • समुदाय के बच्चों का जन्म पंजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराया जाना। • सरकारी योजनाओं की जानकारी दीवारों पर लिखवाना। <u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> <u>**(No Cost)**</u> • समुदाय को बच्चों का जन्म पजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराये जाने के प्रति जागरूक करना। • आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य

				बीमा योजना, अटल पैंशन योजना, आदि बनवाने के लिए कैम्प लगवाना। • विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पैंशन, दिव्यांग पैंशन, आदि बनवाने के लिए कैम्प लगवाना। • मध्याहन भोजन, आई0सी0डी0एस0, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का लाभ नियमित रूप पात्रों को दिलवाने हेतु विद्यालय शिक्षक, आँगनवाडी, एवं राशन डीलर के साथ बैठक का आयोजन। • समुदाय स्तर पर वार्ड सभा के आयोजन के माध्यम से। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
8	सुशासन वाला गाँव	ग्राम पंचायत में सुशासन के द्वारा ग्राम के निवासियों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करना।	सुशासन के स्तम्भ • टीम वर्क • प्रौद्योगिकी • समयबद्ध • पारदर्शिता • परिवर्तन/रूपांतरण	<u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(Low Cost)</u>** • ग्राम पचांयत विकास योजना का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करना तथा योजना को सामुदायिक स्थान पर प्रदर्शित करना। • पचांयत का पारिवारिक सर्वे करवाना, ग्राम पचांयत द्वारा स्वयं की वेबसाइट है जिसपर योजनाओं, संसाधनों, फार्म तथा सर्टिफिकेट (जिसमें जमीन, सामुदायिक सम्पत्ति के संसाधन और बैंक एकाउंट सम्मिलित है) तथा योजनावार लाभार्थियों की सूची पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध कराना। • सी.एस.आर. अथवा स्वयं से/डोनेशन के माध्यमों से ग्राम पचांयत का बजट बढाना आदि। • ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को सामुदायिक स्थानों पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना। • ग्राम पंचायत में विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय से विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार करना। • सचिवालय से दी जाने वाली सुविधाओं की वॉल पेन्टिग कराना। • सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, क्लास, धर्म, लिंग, दिव्यागंता, बिमारी तथा वृद्धवस्था के आधार पर भदेभाव न करना। • वॉल पेन्टिंग में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के प्रशासनिक मद की धनराशि से किया

				जायेगा। 👉 <u>बिना लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(No Cost)</u>** ● सभी 06 ग्राम पचांयत समितियों की प्रतिमाह बैठकें/वर्ष में न्यूनतम दो बार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मानकों के अनुसार तथा समय से कार्यवृत्त तैयार किया जाना। ● 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वार्ड सदस्यों की भागीदारी। ● स्वयं सहायता समूह तथा महिला एवं बाल मंच के सक्रिय समूह गठित करना, महिला प्रधान परिवारों, अलग एवं एकल महिला को सहायता प्रदान करना दिव्यांगों को आजीविका से जोड़ना। ● ग्राम पचांयत की परिधि में किसी भी प्रकार की मदिरा, तंबाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ड्रग्स का बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाना, कूड़े तथा प्लास्टिक को जलाने पर प्रतिबंध लगाना। ● सिटीजन चार्टर को लागू करना। ● ग्राम सदस्यों को जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यू प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि को ससमय दिया जाना सुनिश्चित करना। ● बैठक के द्वारा उपरोक्त सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। ● समुदाय स्तर पर रैली, वार्ड सभा का आयोजन, संवाद कर जानकारी देना तथा जागरूक करना। ● ग्राम पंचायत में पारदर्शिता रखने प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देना। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना।
9	महिला हितैषी गाँव – गाँव में समान	लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए	● महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराध को कम करना। ● सरकारी एवं निजि क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा	👉 <u>कम लागत की गतिविधियॉ</u> **<u>(Low Cost)</u>** पुलिस द्वारा प्रसारित टोल फ्री नम्बर 1090 व यूपी पुलिस 112 का प्रसार हेतु मिशन शक्ति के लोगो के साथ इनका

	लैंगिक विकास	महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।	को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • पांच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • मातृ मृत्यु दर में कमी। • विद्यालयों में लड़कियों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना।	चित्रण ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन/पंचायत कार्यालय में किया जायें। नम्बर के बारें अधिक से अधिक लोगों को बताया जाये व पीड़ित महिला/बालिका की सहायता की जायें। इसके साथ ही सामुदायिक स्थलों पर महिला अधिकार से सम्बन्धित नारों का लेखन कराया जाना। **गतिविधि–** • सुरक्षा हेतु प्रसारित नम्बर 1090, एवं 112 का दीवार पर लेखन एवं नारा लेखन। • स्थानीय कला–प्रदर्शकों के द्वारा महिला सुरक्षा का प्रसार। • महिलाओं/किशोरियों हेतु कौशल विकास के सत्र चलाया जाना। • शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे को न खरीदने और न ही बेचने, घरेलू हिंसा रोकने के कार्य करना। **बिना लागत की गतिविधियॉ (No Cost)** ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व महिलाओं/ किशोरियों की आवश्यकताओं का समाहित करने के उद्देश्य से "महिला सभा का आयोजन" जिसमें सभी वार्ड से महिलाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायें। महिलाओं की आवश्यकताओं – पेयजल, सुरक्षा,उत्पीडन, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर वार्ड मैम्बर, ए0एन0एम0, व आँगनवाडी एवं शिक्षिका की उपस्थिति में चर्चा कर सम्बन्धित गतिविधियों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये। **गतिविधि–** महिला/किशोरी सभा का आयोजन ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं इसे सक्रिय किया जाना। **गतिविधि–** सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायतों में समाधान पेटिकाओं की स्थाई स्थापना। वर्ष में एक बार समस्त ग्राम पंचायतों में गाँव की बेटियों को "ग्राम प्रधान" बनाकर उन्हे पंचायतों की कार्यशैली समझानें का

				प्रयास किया जाना। **गतिविधि–** "एक दिवस महिला कार्यकाल" मनाया जाना।

महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन

प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सभा एवं बाल सभा का अनिवार्य रूप से गठन किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यो का स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के 09 विषयों में से तीसरा विषय है **बाल हितैषी गाँव** जिसकी परिकल्पना है – ''यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बनें।'' इस परिकल्पना को साकार करने में बाल सभा की विशेष भूमिका।

एल.एस.डी.जी. का नौवां विषय है **महिला हितैषी गाँव** जिसकी परिकल्पना है– लैगिंक समानता को प्राप्त करना, ''समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।'' इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस परिकल्पना को सरकार करने हेतु महिलाओं के विकास ग्राम पंचायत में उनकी सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। महिला व किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, सरुक्षा, रोजगार एवं सहभागिता के मानको में सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

महिला सभा एवं बाल सभा के सफल आयोजन हेतु महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास योजनाओं हेतु निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं तथा बच्चों को हिस्सा बनाने हेतु पंचायतें निम्न बिन्दुओं को मुख्यताः महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित कर सकती है।:–

- महिला तथा बाल सभा में चयनित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की शत्–प्रतिशत भागीदारी के साथ–साथ पोषण अभियान के कम–से–कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों को आमंत्रित करना।
- महिला तथा बाल सभा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिभाग किया जाना।
- महिला एवं बाल सभा संबंधी पंचायत के ''संकल्प'' (Resolution) पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा संबंधित गतिविधियों को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करना।
- महिला सभा में स्वयं सहायता समूहों की शत्–प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित करना तथा पंचायत समितियों की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करना।

पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित न्यूनतम दो ग्राम सभाओं के आयोजन से पूर्व तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले (''जनयोजना अभियान'' दिनांक 02 अक्टूबर से 31 जनवरी) के मध्य आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, इस प्रकार से न्यूनतम 03 ग्राम सभा से पूर्व प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला सभा एवं बाल सभा का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जायेगा

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

ग्राम पंचायतों द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वैश्विक एसडीजी को अपनाने और लागू करने की प्रक्रिया को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) कहा जा सकता है।

ग्राम पंचायतें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकाय हैं जो स्थानीय शासन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जीपीडीपी ग्राम पंचायत द्वारा विकसित एक योजना है जो अपने संबंधित क्षेत्रों में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए जीपीडीपी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट एसडीजी के साथ संरेखित करता है। इसके लिए एसडीजी की मैपिंग स्थानीय विकास प्राथमिकताओं, चुनौतियों और ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप की जानी चाहिए।

पंचायत में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) से संबंधित विषयों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाए। इनको शामिल करने के लिए निम्न प्रक्रिया को ध्यान में रखा जा सकता है:

1. **आवश्यकताओं का आंकलन:** ग्राम पंचायत में एसडीजी के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकताओं, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना।

2. **लक्ष्य निर्धारण:** प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्यों का चयन करना जो पहचानी गई जरूरतों को संबोधित करते हैं और स्थानीय संदर्भ के साथ संरेखित होते हैं।

3. **कार्य योजना:** चयनित एसडीजी को प्राप्त करने के लिए जीपीडीपी के भीतर रणनीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकास करना। इसमें मौजूदा विकास पहलों को एकीकृत करना, नई परियोजनाएं बनाना या एसडीजी के साथ संरेखित करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों को संशोधित करना शामिल हो सकता है।

4. **कार्यान्वयन:** सरकारी एजेंसियों, सामुदायिक संगठनों और अन्य स्थानीय हितधारकों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जीपीडीपी को क्रियान्वित करना।

5. **निगरानी और मूल्यांकन:** स्थानीय एसडीजी को प्राप्त करने में प्रगति को ट्रैक करने, प्रभाव को मापने और जीपीडीपी की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए तंत्र स्थापित करना। इसमें संकेतकों की नियमित निगरानी, डेटा संग्रह और परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है।

जीपीडीपी के माध्यम से एसडीजी को स्थानीयकृत करके, समुदाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सतत् विकास प्रयास उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। यह नीचे से ऊपर तक योजना बनाने और निर्णय लेने को सक्षम बनाता है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्थानीय स्तर पर विकास पहलों के स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ाता है।

एल.एस.डी.जी. की ग्राम स्तरीय गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

- सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ग्राम स्तरीय गतिविधियों के अन्तर्गत जन–जागरूकता, प्रचार–प्रसार, समुदाय में विशेष रूप से आयोजित ग्राम गोष्ठियों जागरूकता शिविरो, ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वी.एच.एस.एन.डी.) में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य सेवाओ हेतु उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करना।
- महिला सभा के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

- महिलाओं को महिला एवं बाल हित से संबंधित विषयों में समुदायिक निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित योजनाओं में पात्र लाभार्थियों का चयन करने एवं उनको योजनाओं का लाभ प्रदान करने मे सहयोग प्रदान करना।
- ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना/वी.पी.आर.पी. को तैयार करते समय चिन्हित निर्धनतम परिवारों, अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओ/सुविधाओं एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयो को निष्पक्षता से भरना एवं वी.पी.आर.पी. के फाइनल ड्राफ्ट को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में सम्मिलित करवाना।

❖❖❖

ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने विकास की कार्ययोजना तैयार करेगी, जो कि जन सहभागिता एवं समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने व उसे ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है।

जीपीडीपी क्या है?

- ग्राम पंचायत विकास योजना किसी प्रकार की योजना नहीं है अपितु यह ग्राम पंचायत विकास की वास्तविक कार्ययोजना निर्माण की एक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत अपनी कार्ययोजना का निर्माण करती है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना एक दीर्घकालीन स्वयं की पंचवर्षीय तथा ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना है।

जीपीडीपी क्यो आवश्यक है?

- ग्राम पंचायत का समग्र एवं समेकित विकास हेतु।
- ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधन का बुद्धिमत्ता से प्रयोग ।
- समुदाय को निणर्य लेने हेतु सशक्त बनाना।
- जन समुदाय की भागीदारी।
- विकेन्द्रीकृत प्रणाली की स्थापना हेतु।
- ग्राम पंचायत को जवाबदेही संस्था के रुप में विकसित करना।

जीपीडीपी के निमार्ण की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु मुख्यतः पांच चरणों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण में प्रयोग किया जाता है आइये विस्तार से इन सभी चरणों पर विस्तार से चर्चा करते हैंः–

1. वातावरण निर्माण (ग्राम सभा का आयोजन)
2. परिस्थिति विश्लेषण
3. आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
4. ग्राम पंचायत विकास योजना के लिये संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास
5. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)

- वातावरण निर्माण

  ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु ग्राम सभा में सभी जाति, धर्म के लोग, महिलाएं, युवक–युवती, पुरुषों के साथ साथ सभी विभागों के फ्रन्टलाइन कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति अनिवार्य है जिसके लिये 15 दिवस पूर्व से ही तैयारियां प्रारम्भ कर दी जाती है। कार्ययोजना निर्माण की इस प्रक्रिया में माहौल बनाने हेतु निम्न गतिविधियां की जाती है।

  - प्रचार प्रसार
  - बैनर पोस्टर
  - वार्ड मेम्बर, सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मचारी के माध्यम से।
  - वाह्टसप ग्रुप के माध्यम से
  - डुगडुगी द्वारा
  - माइक द्वारा घोषणा कराकर

इन गतिविधियों को कराने का यह लाभ होगा कि समुदाय की भागीदारी से सही नियोजन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। वंचित वर्ग की सहभागिता से समस्या तथा समाधानों के अधिक विकल्प प्राप्त हो सकतें हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया आसान हो जाती है तथा स्वामित्व का भाव जागृत होता है।

सामाजिक विषयों कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण, बाल–विवाह बालश्रम, घरेलु हिंसा आदि पर दृष्टिकोण/व्यवहार में बदलाव आता है। प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, दिव्यांग, समुदाय आधारित संगठन हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्त्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।

जब पूरी ग्राम पंचायत में विकास योजना के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो जाये तो इसके बाद अगला चरण आता है परिस्थिति विश्लेषण यह चरण है गाँव के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आंकडें एकत्र करने का।

- परिस्थिति विश्लेषण

  ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु ग्राम सभा मे बहुत सारे छोटे छोटे आकड़े एकत्रित करनें होते है जिसे संकलित करने के लिये पी0आर0ए0 पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

  - **सामाजिक मानचित्रण**
  - **क्षेत्र भ्रमण**
  - **सर्वे**
  - **समूह केन्द्रित चर्चा**
- आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान कर उनका प्राथमिकीकरण करना
- परिस्थिति विश्लेषण के फलस्वरूप निकली समस्याओं की लिस्ट बनाना
- जो भी समस्याएं निकल कर आयें उन्हें एक फोर्मेट पर समेकित कर लिखें। जिससे की गाँव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके।
- उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही प्राथमिकताओं को निर्धारित करना।
- प्राथमिकता का निर्धारण करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना कि

- ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित समाहित हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं वंचित व कमजोर वर्ग के हित में हो।
- महिलाओं और बच्चों के हित में हो।

➢ गंभीर प्रकृति की समस्या जो वर्तमान या भविष्य में घटित होने की सम्भावना हो जैसे बाढ़ की समस्या, संक्रमित रोगों की समस्या , सूखे से निपटान की समस्या आदि।

➢ ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

○ प्राथमिकताओं को निर्धारित करते समय उन्हें दो भागों में विभाजित करना

➢ वित्तीय प्राथमिकता, जिनके लिए फण्ड की उपलब्धता आवश्यक है, जैसे नाली खडंजा निर्माण, हैंडपंप मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य।

➢ सामाजिक कार्य जिनके लिए फण्ड की आवश्यकता नहीं है, जैसे कुपोषण, अशिक्षा, टीकाकरण, लैंगिक असमानता, बाल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल आदि पर चर्चा व जागरूकता के लिए गतिविधियाँ आयोजित करना।

आवश्यकताओं/समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों की सूची तैयार की जायेगी जिसे ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप कहा जाता है।

रिसोर्स एनवलप के मानव एवं वित्तीय संसाधन में भी सरकारी एवं गैर–सरकारी संसाधनों की सूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी।

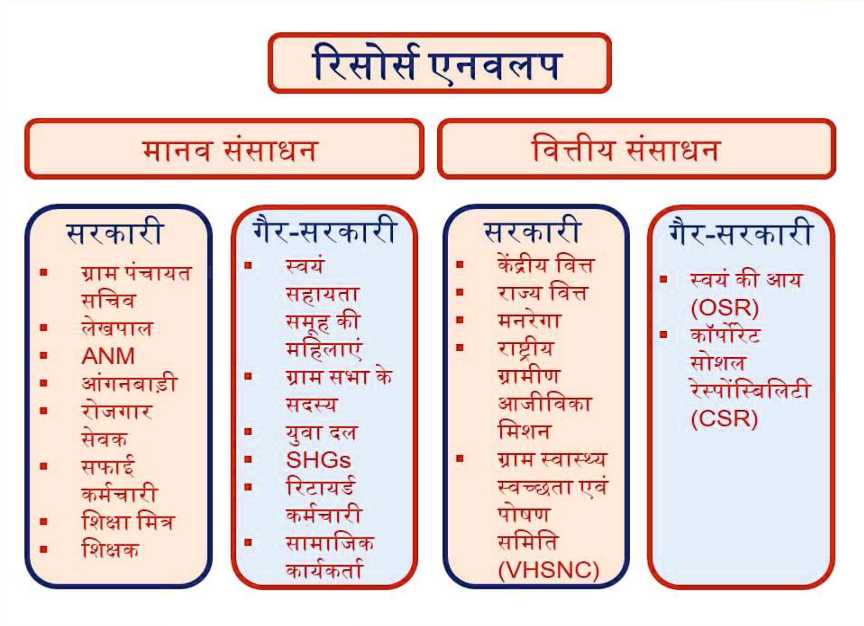

ड्रॉफ्ट प्लान तैयार करना

➢ उपरोक्त वित्तीय एवं सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण हो जाने के पश्चात् समस्त प्राथमिकताओं के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जायेगा

➢ ड्राफ्ट प्लान बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का होना आवश्यक है–

❖ प्रस्तावित क्षेत्र– इसमें प्रस्तावित क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण गतिविधियों की सूची होगी जिस पर ग्राम सभा के दौरान निर्णय लिया गया है।

❖ प्राथमिकतायें– इसमें केवल उन गतिविधियों की सूची जिसे वार्षिक कार्ययोजना हेतु स्वीकृत किया गया है।

❖ फंड का आवंटन– इसमें प्रत्येक क्षेत्र हेतु बनायी गयी परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण विवरण होगा।

❖ फंड का स्रोत– केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित (केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग), स्वयं के आय स्रोत (ओ.एस.आर.) सामुदायिक अंशदान एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) आदि का विवरण प्रत्येक गतिविधि के साथ होना चाहिए।

प्रशासनिक स्वीकृति– ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा

वित्तीय स्वीकृति के मापदंड

- रू0 5.0 लाख तक ग्राम पंचायत
- रू0 5.0 से 7.50 लाख तक ए.डी.ओ. (पं0)
- रू0 7.50 से 10.00 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी
- रू0 10.00 लाख से अधिक जिलाधिकारी

तकनीकी स्वीकृति

- **वर्तमान व्यवस्था–** ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिचाई, मण्डी समिति, जिला पंचायत अवर अभियन्ता।
- लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जिला पंचायत, आवास एवं विकास, सिचाई, मण्डी परिषद, लघु सिचाई, कृषि, जल निगम के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता।
- जनपद में पंजीकृत आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर नियत फीस के साथ इम्पैनल्ड किया जायेगा, जो पंचायत के कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व कार्यों के मापन का कार्य कर सकेगें।

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड करने हेतु आवश्यक चरण, सावधानियाँ एवं पंचायत में लागू नवीन डिजीटल प्रयास

सर्व प्रथम वाईब्रेन्ट ग्राम सभा पॉर्टल पर ग्राम पंचायत की एडमिन लॉगिन आई डी से लॉगिन करके AKAM CELEBRATION पर जाकर नौ थीम में से किसी एक अथवा दो थीम का चयन करके सेव कर देंगें। इसके पश्चात Upload Resolution पर जाकर पहले संकल्प पत्र डाऊनलोड कर प्रिंट कर लेंगें। इस संकल्प पत्र पर ग्राम प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें। इसके पश्चात् इस संकल्प पत्र की पी.डी.एफ. जो एक एमबी से अधिक न हो, को अपलोड किया जायेगा।

इसके पश्चात थीम कैसे चयन करें एवं संकल्प–पत्र कैसे अपलोड होगा पर एक वीडियो (लिंक https://www.youtube.com/watch?v=c0S691UGbjc) को देखें।

ग्राम पंचायत विकास योजना पॉर्टल (www.gpdp.nic.in) पर ग्राम सभा की बैठकों का प्लान बनाया जायेगा। इन बैठकों के आयोजन के पश्चात फैसीलिटेटर द्वारा GPDP Facilitator Report मोबाईल एप के माध्यम से रिपोर्ट भरी जायेगी।

योजना को फीड करने से पूर्व सर्वप्रथम पंचायत की एक प्रोफाईल होनी आवश्यक है। इस प्रोफाईल में ग्राम प्रधान एवं सचिव का मोबाईल नं0 एवं ईमेल आई.डी. का होना अनिवार्य है, क्योंकि ई–ग्राम स्वराज के पॉर्टल पर मेकर अथवा चेकर की आई.डी. पर लॉगिन करने के लिए अब मोबाइल एवं ईमेल आई.डी. पर ओ.टी.पी. जायेगा। इस ओ.टी.पी. के बिना अब मेकर अथवा चेकर की आई.डी. पर लॉगिन नही हो सकेगी।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल की शुरूआत वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरूआत की गई।

- जिसमें पंचायतों को डिजीटल करने के मकसद से इसका निर्माण किया गया।
- यह पॉर्टल विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को एकीकृत कर एक पॉर्टल पर सारी सेवाऐं देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है।
- पंचायत से सम्बन्धित समस्त प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समन्वय।

क्यों ई–ग्राम स्वराज?

- पंचायतों को पारदर्शी एवं जवाबदेही संस्था के रूप में विकसित करना।
- सहभागी नियोजन (Participatory Planning) एवं विकेन्द्रीकृत (Decentralized System) प्रणाली की स्थापना।
- कार्य आधारित लेखा (Work Based Accounting)
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एक एकीकृत साफ्टवेयर है, जिसमें प्लानिंग, रिपोर्टिंग एवं एकाउन्टिंग को एक दूसरे से लिंक किया गया है।
- भारत सरकार के इस प्रयास से पंचायतों को ऑनलाइन कार्य करने में अधिक सुविधा होगी एवं पंचायतें पारदर्शी बनेगी।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल के विभिन्न मॉड्यूल –

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के कार्य के आधार पर 5 मुख्य मॉड्यूल है–

- पंचायत प्रोफाईल माड्यूल
- प्लानिंग मॉड्यूल
- रिपोर्टिंग मॉड्यूल
- एकाउटिंग मॉड्यूल
- ऑडिट मॉड्यूल

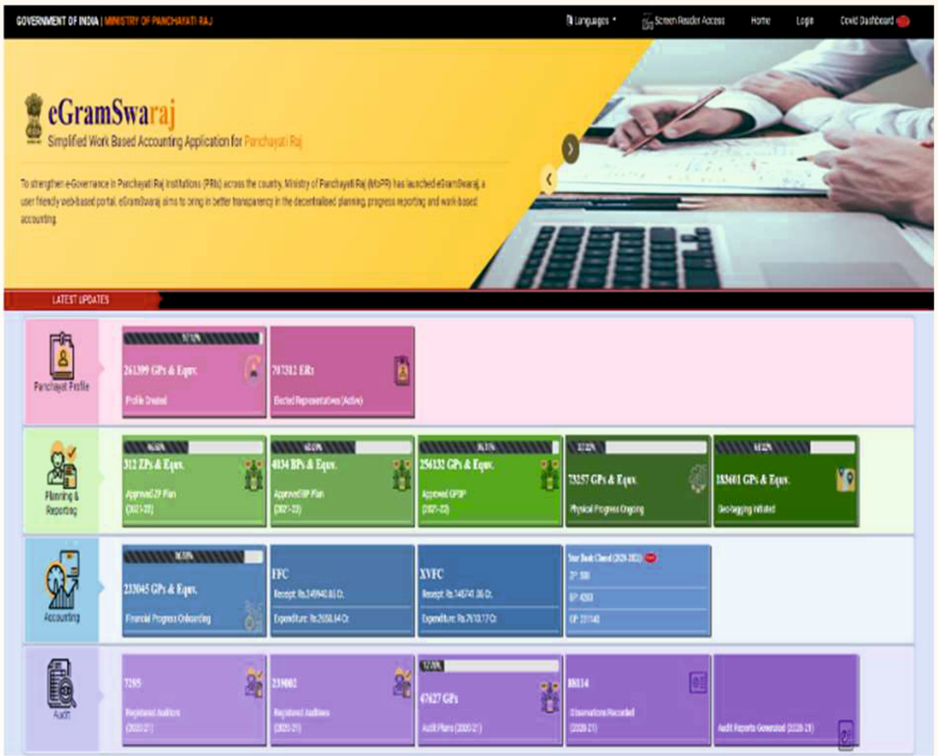

❖ पंचायत प्रोफाईल – यह माड्यूल पंचायतों को अपने पंचायत के बारे में संक्षिप्त विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है। ग्राम पंचायत की कार्ययोजना की फीडिंग प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग मॉड्यूल में करने से पूर्व पंचायत की प्रोफाईल को अपडेट करना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाता है–

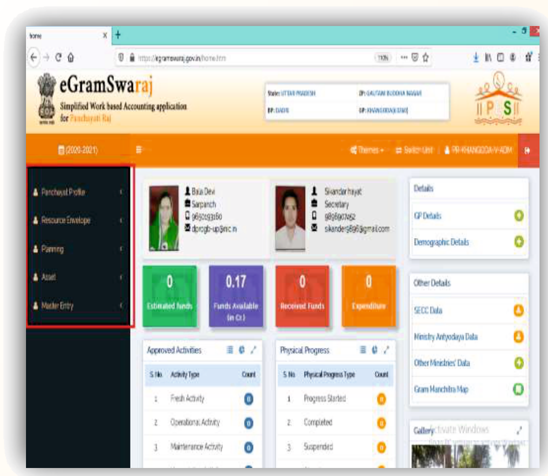

✓ पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं सहित संक्षिप्त विवरण।

✓ पंचायत चुनाव–पंचायत के चयनित प्रतिनिधि, प्रधान / प्रमुख / अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव का विवरण।

✓ पंचायत में गठित समितियां एवं समिति के सदस्यों का विवरण।

✓ पंचायत द्वारा भरी गयी उक्त विवरण जनप्रतिनिधियों–प्रधान एवं सचिव के नाम एवं मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई डी. अनिवार्य रूप में ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध करना।

❖ प्लानिंग मॉड्यूल –

पंचायत प्रोफाईल पूर्ण करनें के पश्चात ही ग्राम पंचायत विकास योजना की फीडिंग प्लानिंग सेक्शन के अन्तर्गत करते है। यह माड्यूल पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके 02 मुख्य
घटक हैं :–

- ➢ **रिसोर्स इन्वलप** – वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- ➢ **प्लानिंग** – विभिन्न योजनाओं में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि के आधार पर पंचायत अपनी वार्षिक कार्ययोजना को अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

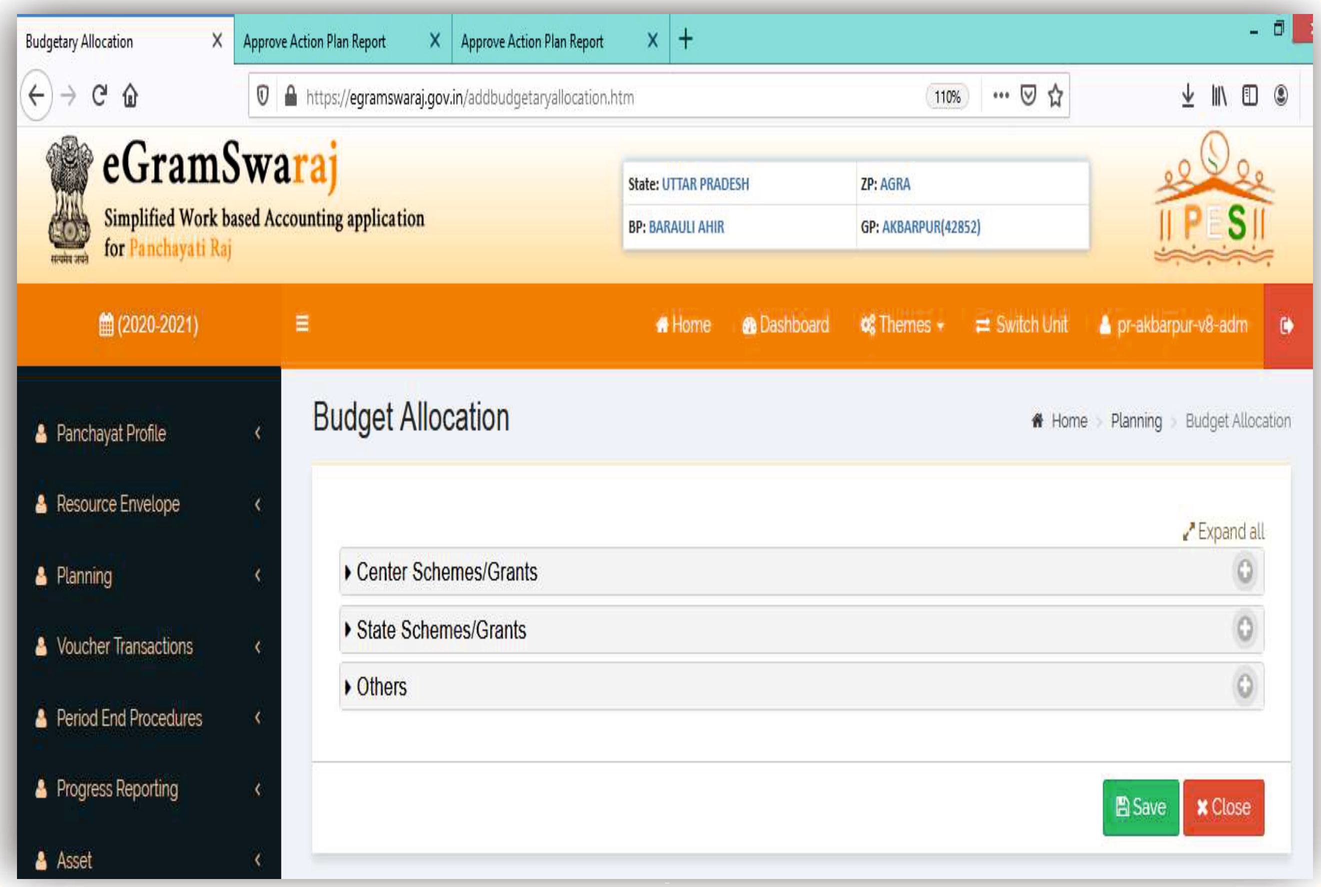

❖ रिपोर्टिंग मॉडयूल –

यह मॉड्यूल पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भौतिक प्रगति को अंकित करने एवं उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

- **तकनीकी स्वीकृति–** प्रत्येक अनुमोदित कार्य के तकनीकी बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति को अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।
- **वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति–** प्रत्येक अनुमोदित कार्य के वित्तीय बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रोग्रेस रिपोर्टिंग** – प्रत्येक कार्य के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् उन कार्यों की भौतिक प्रगति अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

❖ एकाउटिंग मॉड्यूल–

यह माड्यूल पंचायतों को योजनावार कार्य विवरण सहित वित्तीय लेखा सम्बन्धी दस्तावेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके मुख्य घटक निम्नवत् हैः–

- **मास्टर इंट्री–** पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित बैक खातों के विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- **डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट–** पंचायतों से सम्बन्धित अधिकारी (मेकर) एवं प्रतिनिधि (चेकर) के डिजिटल सिग्नेचर का पंजीकरण किया जाता है। तदोपरान्त उच्च अधिकारी एवं पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदन के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
- **वाउचर/ट्रान्जेक्शन–** पंचायतों द्वारा योजनावार आय (Receipt) एवं व्यय (Payment) का विवरण अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्दी–** यह घटक पंचायतों को अपनी कैश बुक का मिलान सम्बन्धित बैंक खाते से कर दैनिक/मासिक/ वार्षिक पुस्तिका बन्द करने की सुविधा प्रदान करता है।

❖ एम एक्शन साफ्ट–

- यह एक मोबाइल एप है, जिसके माध्यम से ई–ग्राम स्वराज के प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एवं एकाउटिंग माड्यूल पर प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वार कार्यों की जीओ टैगिंग एवं फोटोग्राफ अपलोड की जाती है।
- प्रत्येक कार्य की चरणवार भौतिक प्रगति अंकित किये बिना कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन भुगतान करने हेतु आवश्यक तैयारी/व्यवस्थायें

- प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव के पास के क्लास–3 **(Signing + encryption)** स्तर के डिजिटल सिग्नेचर (डी.एस.सी.)/ डोंगल होना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन प्रणाली हेतु उपयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप में जावा, डी.एस.सी. साइनर साफ्टवेयर तथा विन्डोज ओ.एस. का होना अनिवार्य है। जावा तथा डी.एस.सी. सिग्नेचर का नवीन संस्करण **e-GramSwaraj** पोर्टल पर उपलब्ध है।

- पंचायत की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तदोपरान्त प्रत्येक आईडी के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को आनगोईंग किया जायेगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष की सभी दैनिक/मासिक पुस्तिका को बन्द कर योजनावार प्रारम्भिक अवशेष की त्रुटिरहित गणना किया जाना अनिवार्य होगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का मिलान पी.एफ. एम.एस. पर अंकित जानकारी से किया जाएगा तथा यह विवरण दोनों साफ्टवेयर पर समान होना अनिवार्य है।
- उक्त विवरण सामान होने की दशा में ही योजनावार porting हो पायेगी।
- उक्त ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए पंचायतों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए पंचायतों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायतों का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 पर उनकी फंडिंग एजेन्सी (राज्य/जनपद) स्तर से ही किया जा सकता है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायतों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पर लॉगिन कर सम्बन्धित स्कीम को बैंक खाते से मैप करते हैं और इसका अनुमोदन जनपद स्तर से लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत का डाटा पी.एफ.एस.एस. पोर्टल से ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर पोर्ट हो जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 16 जून एवं 29 जून, 2020 के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर के मेकर, चेकर एवं स्वीकृति निम्नवत् हैः–

पंचायत	मेकर	चेकर	विकास स्तर की स्वीकृति	जनपद स्तर की स्वीकृति	राज्य स्तर की स्वीकृति
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	प्रधान	सहायक विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी	निदेशक, पंचायती राज

ई– ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन पेमेंट–

❖ वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी का पंजीकरण–

- उक्तानुसार एजेंसी/लाभार्थी का विवरण अंकित करने के उपरान्त मेकर एवं चेकर द्वारा अपनी डी.एस.सी. से अनुमोदित करना अनिवार्य होगा।
- मेकर एवं चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एजेंसी/लाभार्थी का विवरण पी.एफ.एम.एस. पर स्वतः अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगा, जिसमें कि न्यूनतम दो कार्य दिवस का समय लगता है।

❖ मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन व्यय वाउचर अंकित करना –

- मेकर द्वारा केवल पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदित एजेन्सी को ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन पेमेन्ट हेतु मेकर द्वारा लॉग इन कर ट्रान्जेक्शन वाउचर ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट–वाउचर–एड चयनित किया जायेगा।

❖ मेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना–

- दैनिक पुस्तिका बन्द करने के पश्चात् मेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत किया जायेगा।
- एफ.टी.ओ. निर्गत करने हेतु मेकर द्वारा ट्रान्जेक्शन–वाउचर– ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट वाउचर–साइन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- निम्नानुसार प्रत्येक व्यय वाउचर पर मेकर (सचिव) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा।
- पंचायत द्वारा एक दिवस में जितने भी वाउचर उक्तानुसार साफ्टवेयर पर फ्रीज किया गया होगा उन सभी के सापेक्ष दिवस का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दैनिक पुस्तिका बन्दी करते ही एफ.टी. ओ. जनरेट होगा एवं मेकर के द्वारा उस पर अपनी डी.एस.सी. से हस्ताक्षर किया जाएगा।
- मेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एफ.टी.ओ. की एक फाइल जिसमें सभी डिजिटल हस्ताक्षर किये गये व्यय वाउचर सम्मिलित होगें वे स्वतः ही चेकर (प्रधान) को ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगें।

❖ चेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना –

- सम्बन्धित चेकर द्वारा लॉग इन कर निम्नानुसार एफ.टी.ओ. डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- चेकर द्वारा एफ.टी.ओ. निर्गत किये जाने हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- चेकर (प्रधान) के अनुमोदनोपरान्त एफ.टी.ओ. स्वतः ही पी.एफ.एम.एस. तथा बैंक के अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगी, जिसके पश्चात् न्यूनतम दो दिवसों में एजेंसी/लाभार्थी के खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो जायेगी।
- यदि किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाता है तो उसकी जानकारी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर न्यूनतम 02 दिवस के उपरान्त ही उपलब्ध होगी।

❖ रिपोर्टिंग–

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पर ही नियोजन, क्रियान्वयन तथा लेखांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट जैसे– Approved plan, Sector wise report, Cashbook, Online payment report, Report, DSC status report, Vendor status, Geo-tagging report, amount pending status of PFMS report इत्यादि को देखा जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर कार्य करते समय सावधानियाँ–

क्या करें? (Do's)	क्या न करें? (Don'ts)
1– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही रूप पत्र 08 पर अनिवार्य रूप से लिखे। याद रखें इसमें जी.पी.डी.पी. के समस्त प्रस्तावों का विवरण अवश्य लिखा गया हो एवं ग्राम सभा द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई हो। इस कार्यवाही की पी.डी.एफ. बनाकर पॉर्टल पर अपलोड करें।	1– सादा कागज कार्यवाही के रूप में अपलोड न करें।
2– ग्राम सभा की बैठक के स्वच्छ (क्लीयर) फोटो अपलोड करें।	2– ब्लर (धुंधला), फोटो अपलोड न करें।
3– मेकर एकाउन्ट पर सचिव द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल तथा चेकर एकाउन्ट पर ग्राम प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल अंकित करें।	3– मेकर तथा चेकर द्वारा अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट पर किसी अन्य, जैसे कम्प्यूटर आपरेटर इत्यदि का मोबाईल नं0 तथा ई–मेल यूजर प्रोफाईल पर अंकित न करें।
4– मेकर/चेकर अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट का यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड अपने पास ही रखें।	4– मेकर/चेकर ई–ग्राम स्वराज के यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।

5– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 डोंगल अपने पास ही रखें तथा स्वयं से भुगतान करें।	5– डी0एस0सी0 डोंगल किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न करें।
6– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 का उपयोग स्वयं करें तथा फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर मेकर/चेकर द्वारा उसी दिन किया जाये।	6– मेकर तथा चेकर फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर अलग–अलग दिवस पर न करें।
7– किसी भी तकनीकी समस्या के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।	7– मोबाईल तथा ई–मेल पर प्राप्त OTP किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
8– केवल उन्ही कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान करें जिन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका हो।	8–एक्शन सॉफ्ट पर वित्त/प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन अंकित करे बिना किसी कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान न करें।
9– मेकर/चेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) Digital हस्ताक्षर करने के उपरान्त यदि सम्बन्धित भुगतान अगले दिन तक खाते में जमा ना हो तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जिला पंचायत राज अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करें।	9– किसी बड़े लागत के कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर कम लागत के भिन्न Work ID जनरेट न करें। ऐसा करने पर सम्बन्धित सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर नवीन परिवर्तन –

- मेकर एवं चेकर की आई.डी. लॉगिन करते समय ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल पर ओ.टी.पी. द्वारा सत्यापन की व्यवस्था।
- बिना संकल्प–पत्र अपलोड किये ग्राम पंचायत विकास योजना का ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड न हो पाना।
- संकल्प ली हुई थीम में कुल गतिविधि की 50 प्रतिशत गतिविधियों का कार्ययोजना में अनिवार्य रूप से शामिल करना, तथा अनटाईड मद का न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अनिवार्य रूप से उक्त 50 प्रतिशत गतिविधियों पर व्यय करना।
- कार्ययोजना में पॉर्टल पर अंकित किसी कार्य की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय धनराशि का अधिकतम् 2 गुना ही भुगतान किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि

100 मीटर की सडक निर्माण के लिए कार्ययोजना में प्रस्तावित धनराशि की फीडिंग रू0 20000/- (बीस हजार) मात्र की गई है, परन्तु जब कार्य हुआ और जे.ई. द्वारा एम0बी0 कुल रू0 100000/- (एक लाख) की गई, अब इस कार्य का अधिकतम भुगतान रू0 40000/- (चालीस हजार) ही किया जा सकेगा।

- जेम (GEM) पॉर्टल को भी ई-ग्राम स्वराज पॉर्टल के लिंक किया जा रहा है। भविष्य में समस्त पंचायतें अपनी समस्त खरीदारी जेम (GEM) पॉर्टल के माध्यम से करेंगी जिसका बिल सीधे भुगतान हेतु ई-ग्राम स्वराज पॉर्टल पर उपलब्ध हो जायेगा।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG)

स्वयं सहायता समूह एक प्रकार का अनौपचारिक संघ है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी क्षमताओं का विकास करने के साथ साथ हाशिये यानी समाज के मध्यम तबके को आर्थिक रूप से

मुख्य धारा से जोड़ना है। आमतौर पर स्वयं सहायता समूह में 8 से 10 महिलाओं का समूह होता है लेकिन एक आदर्श स्वयं सहायता समूह का आकार 10 से 20 सदस्यों का होता है। इस समूह का कार्य समूह के सदस्यों की आर्थिक सहायता करना है। स्वयं सहायता समूह में उपस्थित सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा दिया जाता है। यह बचत बैंक के पास जमा रहती है।

समूह कैसे बनाएं?

गांव के किसी शिक्षित स्थानीय व्यक्ति द्वारा समूह के लाभ बताकर समूह बनाने में मदद की जाती है, जिसे एनिमेटर या फैसिलिटेटर कहा जाता है। समूह की सदस्य महिलाओं में से कम से कम 3 से 4 महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए जिन्हें समूह की अध्यक्ष, कोशाध्यक्ष आदि बनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है बस समूह बन जाने के बाद अपनी ग्राम पंचायत के ब्लाक से संपर्क करना होता है। समूह का एक नाम रख कर आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज़ों को लेकर ब्लाक में स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में जाकर समूह को लिस्ट करवाना होगा।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

- महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उनकी क्षमताओं का विकास करना।
- महिलाओं के बीच समूह में कार्य करने और एक दूसरे के लिए सहायता की भावना का विकास करना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को बचत हेतु प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं में समूह के निर्णयों के निर्माण का विकास करना।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों को लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना।

स्वयं सहायता समूह के पंच सूत्र

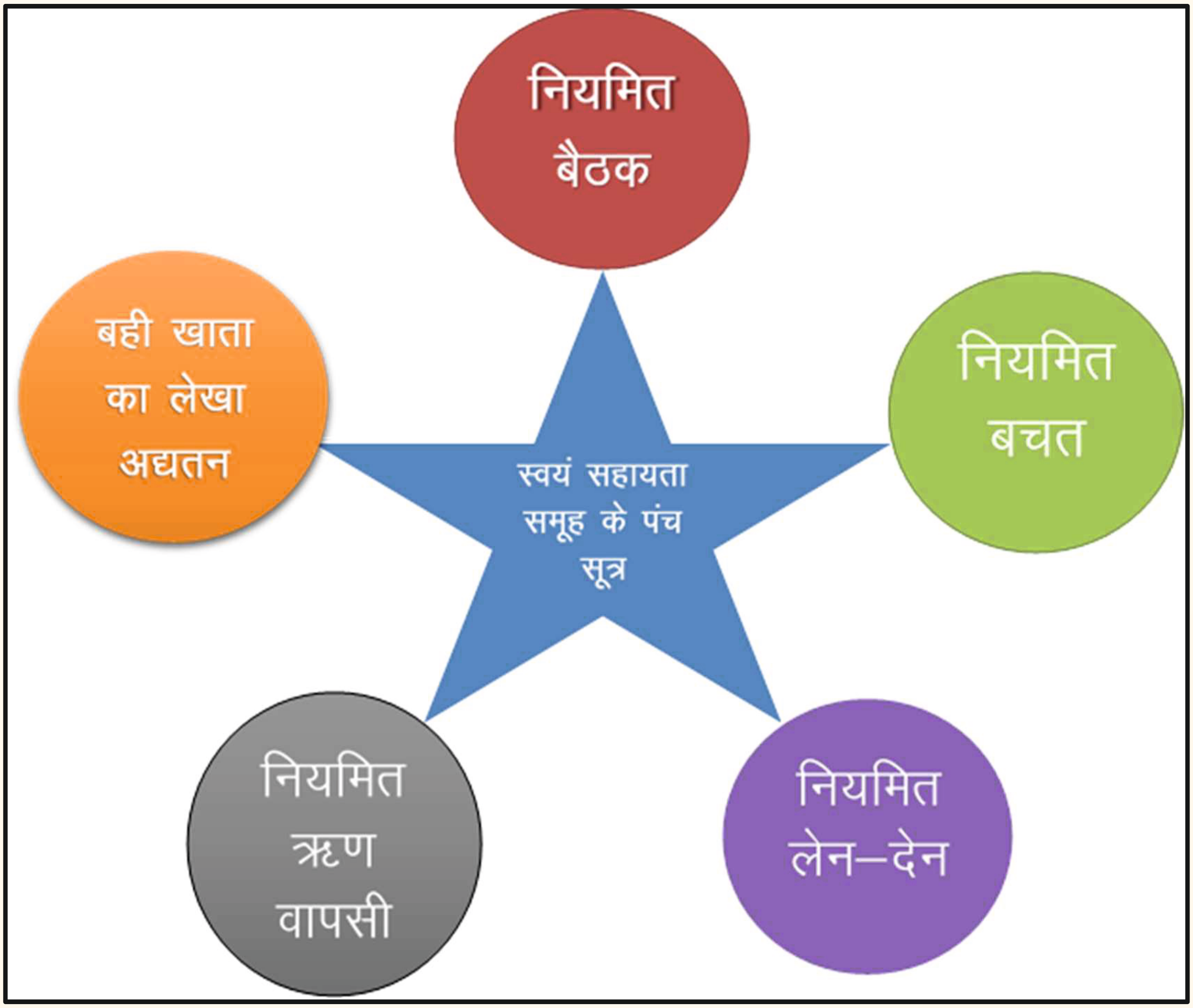

स्वयं सहायता समूह के कार्य व दायित्व और लाभ

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समुदाय–आधारित संगठन हैं जो लोगों के एक समूह द्वारा बनाए जाते हैं जो सामान्य समस्याओं को हल करने और अपने सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। एसएचजी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्न हैं:

1. **क्षमता निर्माण:** एसएचजी अपने सदस्यों को वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व, उद्यमिता और स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके उनकी क्षमतावर्द्धन में मदद करते हैं।

2. **बचत और ऋण:** एसएचजी अपने सदस्यों को नियमित रूप से पैसे बचाने और उन्हें ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है और वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या आय–सृजन गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम होते हैं।

3. **सामाजिक सशक्तिकरण:** एसएचजी अपने सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने, अपने अनुभव साझा करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान को बढ़ाने में मदद मिलती है।

4. **महिला सशक्तिकरण:** एसएचजी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने, ऋण सुविधाओं तक पहुंच और लैंगिक मुद्दों पर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5. **सामुदायिक विकास:** एसएचजी विभिन्न गतिविधियाँ जैसे स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाकर अपने समुदायों के विकास की दिशा में काम करते हैं।

6. **एडवोकेसी:** एसएचजी स्थानीय अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़कर अपने सदस्यों और समुदायों के अधिकारों और हितों की एडवोकेसी करते हैं।

7. **नेटवर्किंग:** एसएचजी ज्ञान, संसाधन और अनुभव साझा करने और सामूहिक कार्रवाई के लिए साझेदारी बनाने के लिए अन्य संगठनों और समूहों के साथ नेटवर्क बनाते हैं।

8. **टी.एच.आर. वितरण:** आंगनबाड़ी में सरकार द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्री को गर्भवती महिलाओं व 03 वर्ष तक के बच्चों को वितरण करना।

कुल मिलाकर, एसएचजी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उद्देश्य उनके सदस्यों और समुदायों की सामाजिक और आर्थिक भलाई में सुधार करना और सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

स्वयं सहायता समूह के लाभ

- महिलाओं के लिए बचत और ऋण प्राप्त करने में सहायक होते हैं।
- स्वयं सहायता समूह की सहायता से महिलाएं व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक मंच प्रदान करता है जहां वह अपने अनुभव एक दूसरे को बता सकती हैं और समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं।

- एसएचजी के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण से महिलाएं अपने हुनर का विकास कर लघु व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं।
- बैंक द्वारा महिलाओं को ऋण/लोन प्रदान किया जाता है।
- यह महिलाओं के अनौपचाचिक समूह को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है।
- बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर कम ब्याज दर ली जाती है।
- यदि महिलाएं समूह से जुड़ी हैं तो उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।

❖❖❖

ग्राम संगठन (वीओ) व क्लस्टर लेवल फोरम (सीएलएफ)

SHG में ग्राम संगठन (VO)

ग्राम संगठन (वीओ) गांव/टोला/पंचायत स्तर पर (एसएचजी की संख्या के आधार पर) 05 से 30 एसएचजी का प्राथमिक संघ है।

ग्राम संगठनों का उद्देश्य

- कृषि, पशुधन और लघु उद्यम विकास में आजीविका के अवसरों द्वारा सतत विकास के लिए जगह बनाना।
- ग्रामीण समुदायों के बीच मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल श्रम, बाल दुर्व्यहवार और तस्करी के बारे में जागरूकता प्रदान करना।

संगठन की प्रक्रियाः संगठन को निम्न प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है–

- निष्पादित किए जाने वाले कार्य की पहचान करना और उसे समूहीकृत करना।
- जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित करना और सौंपना।
- लोगों को एक साथ काम करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंध स्थापित करना।

ग्राम संगठन के दायित्व

- **संगठित करनाः** ग्राम संगठन समुदाय में महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संभावित सदस्यों की पहचान करते हैं और उन्हें एसएचजी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **क्षमता निर्माणः** ग्राम संगठन एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करते हैं। वे उन्हें वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में कौशल विकसित करने में मदद करते हैं।
- **बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ संबंधः** ग्राम संगठन एसएचजी और बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे एसएचजी को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में मदद करते हैं।
- **निगरानी और मूल्यांकनः** ग्राम संगठन एसएचजी की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। वे एसएचजी को फीडबैक प्रदान करते हैं और उनके संचालन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
- **एडवोकेसी और नेटवर्किंगः** ग्राम संगठन महिलाओं के अधिकारों की एडवोकेसी करते हैं और समुदाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। वे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक–दूसरे से सीखने के लिए अन्य संगठनों के साथ भी नेटवर्क बनाते हैं।

क्लस्टर लेवल फोरम/संकुल संघ

संकुल स्तर पर ग्राम संगठनों का नेतृत्व करने के लिए संकुल संघ का निर्माण किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम संगठन को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि ग्राम संगठन सशक्त हो सके।

संकुल संघ की अवधारणा

ग्राम संगठन के सदस्यों को आर्थिक सामाजिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकुल संघ अधिकतम 40 ग्राम संगठनों के प्रतिनिधियों का एक मंच होगा। यह ग्राम संगठन के सदस्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए निरन्तर मार्गदर्शक एवं सहयोग करेगा। यह ग्राम संगठन को विभिन्न प्राकर के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए उसे क्रियान्वित करने में सहयोग करेगा।

संकुल संघ के उद्देश्य

- संकुल स्तर पर सभी गरीबों की पहचान करके उनके गरीबी को कम करने के लिए जीवीकोपार्जन की व्यवस्था करना।
- ग्राम संगठन को सशक्त बनाना।
- ग्राम संगठन तथा समूह को सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं से जुड़ाव तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- समुदाय को उचित बाज़ार उपलब्ध कराने में सहयोग करना ताकि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें।
- ग्राम संगठन के प्रशिक्षण के साथ ही साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं उन्हें सशक्त बनाना।

संकुल संघ की आवश्यकताः संकुल संघ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह ग्राम संग्ठन को निम्न क्षेत्रों में सहायता कर सकता हैः

1. **ग्राम संगठन के सदस्यों को सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यक्रमों से जोड़नाः** ग्राम संगठन को सरकारी योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास योजना इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं उससे लाभ लेने के लिए संबंधित सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
2. **बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहयोगः** चूंकि ग्राम संगठन स्तर पर बने स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ता है, पर बैंक और प्रत्येक गांव के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। बैंक के साथ समन्वय स्थापित करने में ग्राम संगठन को कठिनाई होती है। यदि बैंक मित्र संकुल स्तर पर ग्राम संगठन को सहयोग करते हैं तो ग्राम संगठनों के क्रियान्वयन लागत में कटौती हो सकती है। संकुल स्तर पर संकुल संघ बैंक के साथ–साथ अन्य वित्तीय संगठनों से भी जोड़ने का भी प्रयास करेगा।
3. **ग्राम संगठन द्वारा निर्मित कोष के उचित उपयोग में सहायताः** संकुल संघ की सहायता से यदि किसी संगठन में अनुपयोग राशि अधिक है तो वह दूसरे ग्राम संगठन की मांग के अनुसार उस राशि का उपयोग कर पायेगा। इस अनुपयोग राशि का उपयोग दूसरे ग्राम संगठन की मांग जैसे खाद–बीज खाद्यान्न एवं अन्य आजीविका संबंधी सेवाओं को पूरा कर सकता है। किंतु दो या दो से अधिक ग्राम संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संकुल स्तर पर संकुल संघ की आवश्यकता होगी।
4. **ग्राम संगठनो का नेतृत्वः** विभिन्न ग्राम संगठनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एवं उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए भी संकुल संघ की आवश्यकता होगी।

5. **ग्राम संगठनों के लिए थोक एवं उचित दर पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीददारीः** ग्राम संगठन खुद के लिए ही वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीददारी कर सकता है। किंतु यह अपेक्षाकृत महंगा होगा क्योंकि कोई भी ग्राम संगठन द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीददारी की मात्रा कम होगी। किंतु यह खरीददारी संकुल स्तर पर होती है तो अधिक मात्रा में खरीददारी से अपेक्षाकृत कीमत कम होगी।

6. **ग्राम संगठन के सदस्यों के लिए बीमा कंपनियों से ताल–मेल स्थापित करनाः** बीमा कंपनियों को ग्राम संगठन के स्तर पर ताल–मेल और इकरारनामा करने में कठिनाई होगी क्योंकि उसे प्रत्येक ग्राम संगठन से अलग–अलग इकरारनामा करना होगा, पर संकुल स्तर संकुल संघ से बीमा के संबंध में इकरारनामा करने में उसे आसानी होगी। उन्हें केवल एक ही संस्था से इकरारनामा करना होगा जिसमें कम से 25–30 ग्राम संगठन के सदस्य होंगे।

7. **ग्राम संगठनों के बीच उत्पन्न विवादों के समाधान में सहयोग की आवश्यकताः** यदि दो से अधिक ग्राम संगठनों में विवाद उत्पन्न होता है तो वैसे विवादों का समाधान संकुल स्तर पर ही किया जा सकता है। संकुल संघ दो से अधिक ग्राम संगठनों के विवादों का समाधान के लिए मध्यस्तता कर सकता है।

8. **ग्राम संगठन के सदस्यों को शिक्षणः** प्रशिक्षण संबंधी विषयों में तकनीकी सहयोगः ग्राम संगठन को अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ताकि उनका क्षमतावर्द्धन हो सके। इसके लिए उसे संकुल स्तर पर एक मंच की आवश्यकता होगी।

संकुल संघ की विशेषताएंः ग्राम संगठन द्वारा निर्मित संकुल संघ की निम्न विशेषताएं होंगीः

- चूंकि संकुल स्तर पर आस पास के अधिक से अधिक 40 ग्राम संगठन संघ के सदस्य होंगे, इसलिए संकुल संघ ग्राम संगठनों के लिए एक केन्द्रीय संस्था होगी।
- ग्राम संगठन द्वारा निर्मित 12 सदस्यीय निदेशक मंडल के सभी सदस्य संकुल संघ के आम सभा के सदस्य होंगे।
- संकुल संघ का एक प्रतिनिधि निकाय होगा जिसका सदस्य प्रत्येक ग्राम संगठन द्वारा निर्मित 12 सदस्यीय निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे।
- संकुल संघ के कार्यों की देख–रेख करने के लिए एक 12 सदस्यीय निदेशक मण्डल होगा जिसका निर्वाचन प्रतिनिधि निकाय द्वारा होगा।
- संकुल संघ में कार्य प्रेरित उपसमितियां होंगी जो निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यों को संपादित करेगी। इसका निर्माण निदेशक मण्डल द्वारा प्रतिनिधि निकाय की सहायता से किया जायेगा।

स्वयं सहायता समूह के दायित्वों को सुदृढ़ करने में ग्राम संगठन और संकुल संघ के कार्य

क्र.सं.	समूह	ग्राम संगठन	संकुल संघ
1	गरीब परिवार की महिलाओं को एकत्र करना एवं उनमें एकता लाना।	समूह को मजबूत करना।	ग्राम संगठन को मजबूत करना।
2	महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक समस्या को ले कर जागरूकता लाना।	समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	ग्राम संगठन के सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ बीमा संबंधी सेवायें प्रदान करना।

3	नेतृत्व क्षमता का विकास करना।	आजीविका संवर्द्धन के लिए समूह को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना।	ग्राम संगठन के सदस्यों को वित्त के लिए वित्तीय संस्थानों से जोड़ना।
4	सामाजिक समस्याओं का हल करना।	समूह के सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रति जागरूक करना एवं उससे जुड़ने में मदद करना।	सरकारी/गैर सरकारी योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता एवं सफाई, विधवा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा, शुद्ध पेय–जल इत्यादि से ग्राम संगठन के सदस्यों को जोड़ना।
5	सदस्यों में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता लाना।	सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सदस्यों की सूचना तैयार करना एवं संकुल संघ में जमा करना।	सरकारी विभागों के साथ गठजोड़ बनाना।
6	आयवर्द्धक कार्यों के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करना।	आयवर्द्धक कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का क्षमता विकास करना।	कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम संगठन का क्षमता विकास करना।
7	गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी देना।	गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की सूची तैयार करना।	गांव का सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक मानचित्रण करना तथा संसाधनों के उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
8	आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सामूहिक कार्यों को निष्पादित करना।	भोजन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आजीविका प्रोत्साहन, प्रारंभिक पूंजीकरण कोष से ऋण के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करना।	ग्राम संगठन द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म योजना को क्रियान्वित करना।
		समूह के कार्यों की समीक्षा करना एवं सलाह देना।	ग्राम संगठन के कार्यों की समीक्षा करना एवं सलाह देना।
		आवश्यकतानुसार समूह को मजबूत बनाने के लिए अन्य कार्यों को संपादित करना।	ग्राम संगठन को वैधानिक कार्यों के अनुपालन हेतु सहायता करना।
			सामुदायिक साधन सेवी का चयन करना एवं उसके कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
			ऑडिटर का चयन करना एवं ग्राम संगठन के लेखा बही को ऑडिट करवाना।

आर्थिक विकास हेतु पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूह की साझेदारी

स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने में पीआरआई की संवैधानिक भूमिका है। गरीबी कम करने पर. पीआरआई संस्थानों और स्वयं सहायता समूह के बीच विचारों का नियमित आदान प्रदान होना चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और पंचायतों के बीच स्थापित की जानी वाली साझीदारी निम्न हो सकती हैः

- विकास परियोजनाओं में सहयोगः एसएचजी समुदाय में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों के साथ सहयोग कर सकते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पहल शामिल हो सकती हैं। पंचायतें इन परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में एसएचजी को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं।

- **सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचः** पंचायतें एसएचजी को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं जिनका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना है। वे एसएचजी को उनके विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य संसाधन प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

- **क्षमता निर्माणः** उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व और विपणन जैसे क्षेत्रों में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पंचायतें एसएचजी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। ये कार्यक्रम एसएचजी को अपने प्रयासों में अधिक आत्मनिर्भर और सफल बनने में मदद कर सकते हैं।

- **एडवोकेसी और प्रतिनिधित्वः** पंचायतें शासन के उच्च स्तर पर एसएचजी के लिए वकील के रूप में कार्य कर सकती हैं और उनके हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। वे एसएचजी के सामने आने वाले मुद्दों को उठा सकते हैं और उनके विकास और स्थिरता के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं।

- **नेटवर्किंग और सहयोगः** पंचायतें एक ही क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। वे बैठकें, कार्यशालाएँ और कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जहाँ SHG अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, एक–दूसरे से सीख सकते हैं और सहयोग के अवसर तलाश सकते हैं।

- **निगरानी और मूल्यांकनः** पंचायतें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में एसएचजी की प्रगति की निगरानी कर सकती हैं। वे समुदाय पर एसएचजी गतिविधियों के प्रभाव का आंकलन कर सकते हैं और सुधार के लिए प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

- **संसाधन जुटानाः** पंचायतें एसएचजी को उनकी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में सहायता कर सकती हैं। इसमें सरकारी अनुदान तक पहुंच प्रदान करना, स्थानीय व्यवसायों या गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान करना और एसएचजी को आय–सृजन के अवसरों का पता लगाने में मदद करना शामिल हो सकता है।

इन संबंधों को स्थापित करके, एसएचजी को पंचायतों के समर्थन और मार्गदर्शन से लाभ मिल सकता है, जबकि पंचायतें सामुदायिक विकास के लिए एसएचजी के जमीनी स्तर के ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती हैं।

❖❖❖

विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान (VPRP)/ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना

वीपीआरपी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क और उनके संघों द्वारा उनकी मांगों और स्थानीय क्षेत्र के विकास को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई एक व्यापक मांग योजना है जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। **वीपीआरपी हर साल अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य तैयार कर ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत की जाती है।**

ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी)

- ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी) एसएचजी नेटवर्क द्वारा तैयार की गई एक सामुदायिक मांग योजना है जिसे आगे चलकर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में एकीकृत किया जा सकता है। वीपीआरपी के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने एसएचजी नेटवर्क की भागीदारी का निर्देश देते हुए पत्र और एडवाइज़री जारी की है। पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में, पीआरआई के परामर्श से जीपीडीपी की तैयारी में एसएचजी संघों को बढ़ावा देने के निर्देश दिये गये थे। इसके बाद, 7 सितंबर 2018 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि एसएचजी मांग योजनाएं तैयार की जाएं और ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएं।
- वीपीआरपी प्रक्रिया एसएचजी नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से अपनी मांगों को उठाने का अवसर प्रदान करती है। यह मिशन और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करता है तथा इसके क्रम में ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह समुदाय को उस व्यापक तरीके के बारे में जागरूक करता है जिससे गरीबी को संबोधित किया जा सकता है। यह पात्रता, वित्तीय संसाधनों के नियोजन और आजीविका के अवसरों के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। यह प्रक्रिया सहभागी गतिविधियों के माध्यम से बनाई जाने वाली स्थानीय और विशेष गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए वातावरण तैयार करती है।

वीपीआरपी के उद्देश्य

- गरीबी उन्मूलन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व को मजबूत करना।
- स्थानीय विकास के लिए समुदाय की एक व्यापक और समावेशी मांग योजना तैयार करना।
- मांग योजना के विकास के लिए एसएचजी फेडरेशन और पंचायती राज संस्थानों के बीच एक इंटरफेस की सुविधा प्रदान करना।

वीपीआरपी के घटक

वीपीआरपी के तहत मांगों को पांच प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है:

- **सामाजिक समावेशन** – एनआरएलएम के तहत कमजोर लोगों/परिवार को एसएचजी में शामिल करने की योजना
- **पात्रता** – विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, एसबीएम, एनएसएपी, पीएमएवाई, उज्ज्वला, राशन कार्ड आदि की मांग।
- **आजीविका** – कृषि, पशुपालन, उत्पादन और सेवा उद्यमों के विकास और प्लेसमेंट आदि के लिए कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने की विशिष्ट मांग।
- **सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं** – आवश्यक बुनियादी ढांचे की मांग, मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और बेहतर सेवा वितरण के लिए
- **संसाधन विकास** – प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, जंगल और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण और विकास की मांग
- **सामाजिक विकास** – जीपीडीपी के कम लागत, बिना लागत घटक के तहत किसी गांव के विशिष्ट सामाजिक विकास मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार की गई योजनाएं

वीपीआरपी का महत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए ग्राम गरीबी निवारण योजना (वीपीआरपी) एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक सहभागी योजना प्रक्रिया है जिसमें समुदाय को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए समाधान विकसित करने में शामिल किया जाता है। वीपीआरपी के महत्व को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. **सामुदायिक सशक्तिकरण:** वीपीआरपी समुदाय को योजना प्रक्रिया में शामिल करके सशक्त बनाता है। यह उन्हें निर्णय लेने में और विकास प्रक्रिया का स्वामित्व लेने में मदद करता है।

2. **लक्षित हस्तक्षेप:** वीपीआरपी समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जाए।

3. **सतत् विकास:** वीपीआरपी अल्पकालिक समाधानों के बजाय दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके सतत् विकास को बढ़ावा देता है। यह समुदाय को विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करता है।

4. **समन्वय और सहयोग:** वीपीआरपी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और अधिकतम प्रभाव के लिए हस्तक्षेपों का समन्वय किया जाता है।

5. **निगरानी और मूल्यांकन:** वीपीआरपी में एक निगरानी और मूल्यांकन घटक शामिल है जो प्रगति को ट्रैक करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप प्रभावी हैं और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है।

वीपीआरपी तैयारी के चरण और समय–सीमा

वीपीआरपी हर साल अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य तैयार कर ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत की जाती है।

निम्नलिखित वीपीआरपी योजना की तैयारी के लिए की गई गतिविधियों की रूपरेखा है

- कार्यक्रम अनुसूची तैयार करने, प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों को सत्र लेने के लिए आमंत्रित करने और लॉजिस्टिक और वित्त से संबंधित अन्य विवरणों के समन्वय का उत्तरदायित्व आयोजक का है। वीपीआरपी के लिए, आयोजक ब्लाक मिशन मैनेजमेंट यूनिट (बीएमएमयू) है।

- सत्रों को सर्वोत्तम संभव तरीके से संचालित करने के लिए सुविधादाता/फैसिलिटेटर जिम्मेदार हैं। वीपीआरपी के लिए, सुविधाकर्ता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति है।

चरण 1 (वीओ स्तर की गतिविधि)

- जीपीडीपी और वीपीआरपी का संक्षिप्त परिचय
- एंटाइटेलमेंट प्लान/हकदारी योजना के विचार का बीजारोपण
- आजीविका योजना के विचार का बीजारोपण
- सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास के विचार का बीजारोपण
- सामाजिक विकास योजना पर चर्चा
- एसएचजी/वीओ स्तर पर प्रत्येक योजना की तैयारी के लिए तारीखों को अंतिम रूप देना
- गतिविधिवार कैलेंडर तैयार करना

चरण 2 (एसएचजी स्तर की गतिविधि)

- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु प्रारूप आधारित एसएचजी स्तर की पात्रता योजना तैयार करना
- खेती, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम आधारित आजीविका योजना प्रारूप के आधार पर तैयार करना
- एसएचजी के बाहर कमजोर और सबसे गरीब लोगों की मांगों के साथ–साथ संबंधित एसएचजी स्तर के आंकड़ों के आधार पर पात्रता और आजीविका योजना की वीओ सारांश शीट तैयार करना।

चरण 3 (वीओ स्तर की गतिविधि)

- संबंधित सारांश शीट के साथ प्रत्येक एसएचजी से पात्रता प्रारूप और आजीविका प्रारूप संलग्न करें
- सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास मांगों के लिए ग्राम स्तरीय मानचित्रण
- सामाजिक विकास योजनाओं, मुद्दों की पहचान और समस्या के समाधान के लिए योजनाओं/गतिविधियों पर चर्चा। यह चर्चा सोशल डेवलपमेंट प्लान (एसडीपी) के प्रारूप पर आधारित होनी चाहिए।

चरण 4 (जीपी स्तर की गतिविधि)

- जीपी योजना बनाने के लिए प्रत्येक वीओ की पात्रता योजना, आजीविका योजना, सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास योजना को एक साथ संलग्न करें।
- रैंकिंग के आधार पर प्रत्येक योजना के तहत लाभार्थियों मांगों को प्राथमिकता दें।
- सोशल डेवलपमेंट प्लान (एसडीपी) के लिए समान मुद्दे की पहचान करने वाले ग्राम संगठनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

1. क्षेत्र में वीपीआरपी प्रक्रिया शुरू करने से पहले, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों, सचिव, ग्राम पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी और लाइन विभागों के साथ जुड़ना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
2. ब्लॉक स्तरीय नोडल व्यक्ति वीपीआरपी की तैयारी और जीपीडीपी के संचालन पर निम्न के साथ परामर्शी बैठक आयोजित कर सकता है

   (क) खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) और लाइन विभाग

   (ख) समस्त पंचायत प्रधान एवं सचिव
3. वीपीआरपी की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि को सूचित किया जाना चाहिए और योजना तैयारी के विभिन्न चरणों में शामिल किया जाना चाहिए।

जीपीडीपी में एसएचजी का सहयोग

जीपीडीपी की तैयारी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि ये योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से सभी समुदायों की जरूरतों को पहचानने और संबोधित करने के लिए तैयार की जाती है। पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतें नियोजन प्रक्रिया में गरीबों के संस्थानों को शामिल करने के लिए बाध्य है। इस उद्देश्य को साकार करने हेतु नियोजन की प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक हितधारकों जैसे सीबीओ, एनजीओ और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों को शामिल करना आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में, सबसे बड़ा समुदाय आधारित संगठन एनआरएलएम का महिला एसएचजी नेटवर्क है। यह नेटवर्क समुदाय के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है।

एसएचजी नेटवर्क की क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने स्थानीय निकायों को इनकी मांगों को शामिल करने और जीपीडीपी के लिए अपनी सामाजिक पूंजी जुटाने में उपयोग करने की अनिवार्यता की है।

जीपीडीपी में एसएचजी नेटवर्क की भूमिका

- गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल करना और योजना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
- सामुदायिक निगरानी, सेवा वितरण और विकासात्मक पहलों का क्रियान्वयन।
- प्रचार, संगठन, सुविधाकरण और दस्तावेजीकरण के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त बनाना।

वीपीआरपी के तहत योजनाएं व तैयारी (70 मिनट)

वीपीआरपी नीचे दिए गए चित्र में उल्लिखित चार योजनाओं के तहत समुदाय द्वारा उत्पन्न मांगों को संकलित करता है।

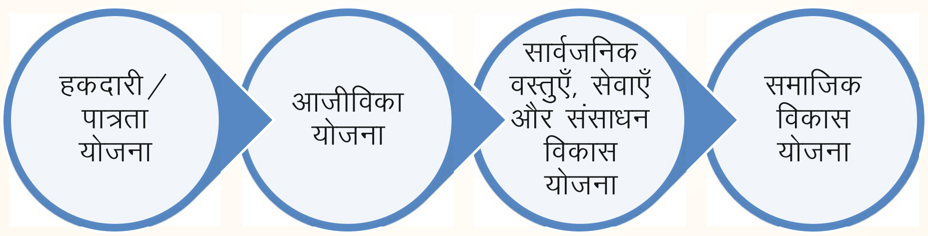

हकदारी योजना/Entitlement Plan

प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है जिसमें काम, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि लोग शारीरिक और सामाजिक कल्याण के एक निश्चित मानक के हकदार हैं। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी वितरण तंत्र एस.एच.जी.संस्थानों की अधिक भागीदारी और अपने नागरिकों के साथ सहयोग के माध्यम से है।

सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच को व्यापक बनाने हेतु निर्णयकर्ता के रूप में निर्माताओं के रूप में समुदाय की भूमिका को पहचानना आवश्यक है न कि केवल निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में। इसे ध्यान में रखते हुए वीपीआरपी पात्रता योजना का एक घटक तैयार किया गया है। योजना तैयार करना एसएचजी स्तर पर आयोजित एक भागीदारी प्रक्रिया है। हकदारी योजना एसएचजी परिवार व उनके परिवार के सदस्यों तक सरकारी योजनाओ की पहुंच के बीच के अंतर को दर्शाती है।

हकदारी योजना में शामिल योजनाएँ

पात्रता योजना में केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाएँ नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई हैं।

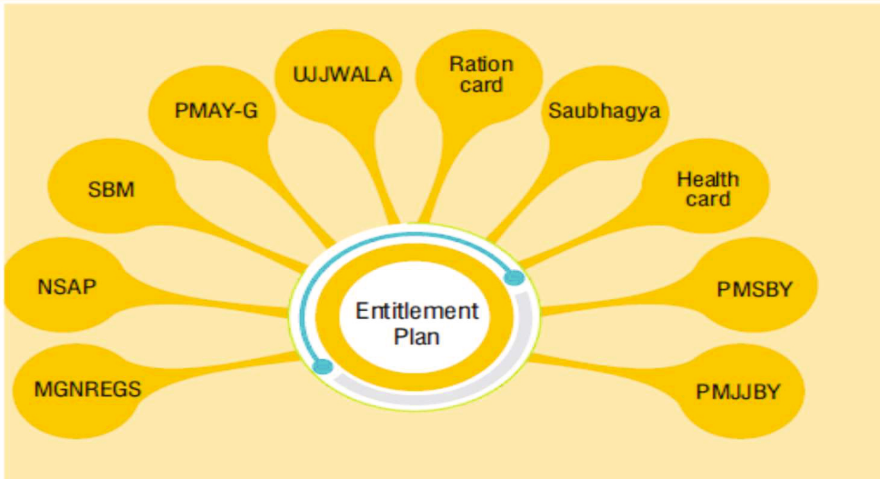

योजना तैयारी के चरण

एसएचजी बैठकें आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक एसएचजी की जानकारी

एसएचजी स्तर पात्रता डेटा संग्रहण: एसएचजी बैठकें आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक एसएचजी की जानकारी दर्शाने के लिए सुविधादाता द्वारा प्रपत्र भरा जाएगा

ग्राम संगठन की सारांश शीट (summary sheet) ग्राम संगठन की योजना की तैयारी और समेकन

ग्राम पंचायत स्तर की प्राथमिकता और समेकन ग्राम पंचायत स्तर पर पात्रता की मांग की प्राथमिकता व समेकन

योजना तैयार करने की प्रक्रिया

एसएचजी स्तर हकदारी/पात्रता डेटा संग्रह

- एसएचजी की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी।
- एसएचजी के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होना चाहिए।

- एसएचजी के सभी सदस्यों को पहचान और पात्रता के प्रमाण के रूप में मौजूदा दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार आदि की एक प्रति लानी होगी।
- यदि कोई सदस्य पात्र है और उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो एसएचजी नेटवर्क इसके लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। हालाँकि, वे आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में भी पात्र लाभार्थियों का नाम प्रारूप में शामिल कर सकते हैं।
- जब सुविधादाता एसएचजी स्तर पर मांगें भरता है तो एसएचजी सदस्यों को एक घेरे में बैठना चाहिए
- सुविधा प्रदाता को मांग एकत्र करने से पहले प्रत्येक योजना के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट करना होगा ताकि एसएचजी सदस्य कोई अमान्य मांग न रखें।
- सुविधादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रारूपों में प्रविष्टियाँ निर्धारित प्राथमिकता मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में की गई हैं।
- सुविधादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस चरण के दौरान प्राथमिकता के लिए रैंक (Rank for Prioritisation) कॉलम खाली छोड़ दिया जाए।
- सुविधादाता को अंतिम सत्यापन के रूप में एसएचजी स्तर पात्रता योजना प्रारूप में लाभार्थियों के नाम और भरे गए संबंधित डेटा को पढ़ना होगा।

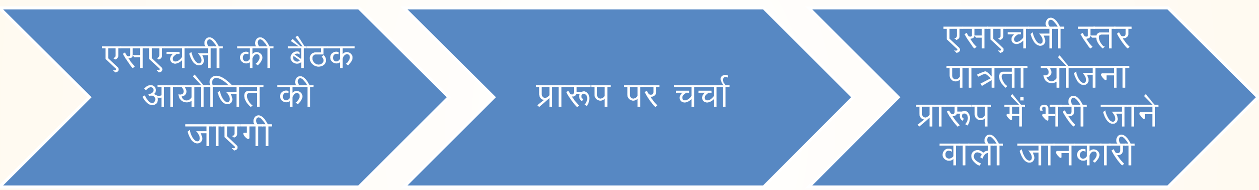

ग्राम संगठन/वीओ योजना की तैयारी और समेकन

- वीओ के तहत सभी एसएचजी के लिए एसएचजी स्तर की पात्रता योजना प्रारूप तैयार होने के बाद, एक वीओ बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी एसएचजी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एसएचजी से दो सदस्यों को वीओ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।
- इस बैठक में वीओ सारांश शीट अवश्य तैयार की जानी चाहिए जोकि एसएचजी स्तर की पात्रता योजना के प्रारूप पर आधारित हो एवं सारांश शीट के साथ अनिवार्य रूप से सलंग्न हो।
- प्रारूप में उन लाभार्थियों की सूची तैयार करें जो एसएचजी नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं। ये लाभार्थी समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों या गरीबो में सबसे गरीब में से होंगे। यदि वीओ ने Vulnerable Reduction Plan तैयार की है, तो इस योजना को लाभार्थियों और उनकी मांगों की पहचान के लिए एक संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है।

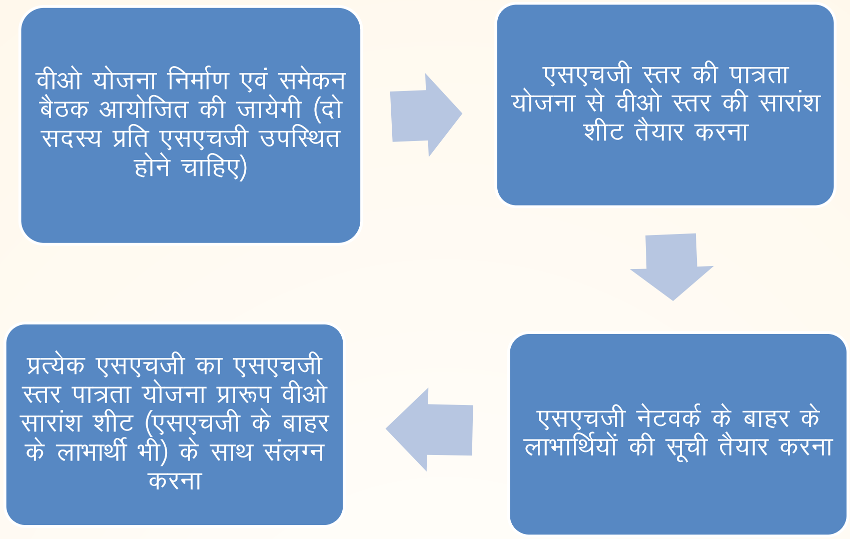

जीपी स्तर की प्राथमिकता और समेकन

- वीओ स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सारांश शीट तैयार किए जाने के बाद जीपी स्तर की प्रत्येक ग्राम संगठन के साथ बैठक आयोजित होनी चाहिए।
- सभी वीओ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक में प्रति वीओ से कम से कम दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- एसएचजी स्तर की पात्रता योजना पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान ''प्राथमिकता के लिए रैंक'' शीर्षक वाले कॉलम को भरना होगा।
- जीपी रैंकिंग के भीतर एसएचजी के सभी सदस्यों को ध्यान में रखते हुए रैंक दी जानी चाहिए उदाहरण के लिए यदि किसी ग्राम पंचायत में 10 एसएचजी हैं और प्रत्येक एसएचजी में संबंधित योजना के लिए 10 लाभार्थी हैं। तब ग्राम पंचायत के भीतर एसएचजी नेटवर्क में कुल लाभार्थी 100 होंगे। इसलिए रैंकिंग 1 से 100 तक दी जाएगी।
- रैंकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जीपी में सभी वीओ की वीओ सारांश शीट (एसएचजी नेटवर्क के बाहर के लाभार्थियों को शामिल करते हुए) को संदर्भ के रूप में रखते हुए जीपी स्तर की सारांश शीट तैयार की जानी चाहिए।
- सभी एसएचजी के एसएचजी स्तर की पात्रता योजना प्रारूप और सभी वीओ की वीओ स्तर की सारांश शीट को जीपी स्तर की सारांश शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

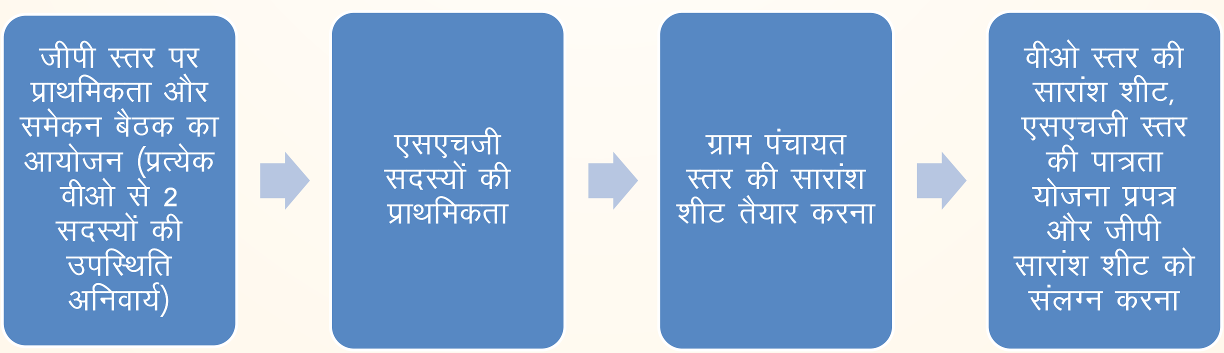

ध्यान रखने योग्य बातें

- योजना तैयार करने की प्रक्रिया से पहले वीओ स्तर पर एक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए।
- गतिविधि कैलेंडर में एसएचजी का नाम, तारीख और समय शामिल होना चाहिए जिस पर एसएचजी स्तर पात्रता योजना प्रारूप भरा जाएगा।
- अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एसएचजी स्तर की पात्रता योजना (Entitlement Plan) तैयार करने की तारीख और समय एसएचजी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए।
- मनरेगा कार्य मांग, एनएसएपी और पीएमएवाई–जी योजना हकदारी योजना (Entitlement Plan) में प्राथमिकता दी जाने वाली एकमात्र योजनाएं हैं।
- अंतिम रूप से एसएचजी स्तर और वीओ स्तर पर तैयार प्रारूप पर पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।

आजीविका योजना

आजीविका का तात्पर्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के साधन से है। एक योजना के रूप में जो समुदाय की महसूस की गई जरूरतों से उभरती है उस वीपीआरपी का उद्देश्य आजीविका सहायता प्रदान करके ग्रामीण गरीबों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह सहयोग आजीविका के नए अवसर खोजने के साथ–साथ मौजूदा आजीविका को पुनर्जीवित करने या बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

आजीविका योजनाएं एसएचजी नेटवर्क के सदस्यों की मांगों को दर्शाती हैं। इस योजना में व्यक्तिगत या समूह की मांगें और एसएचजी सदस्यों या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। यह एसएचजी नेटवर्क को विभिन्न संबंधित विभागों के साथ जुड़ने और उन्हें उपलब्ध लाभों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है।

आजीविका योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

आजीविका योजना के अंतर्गत मांगें तीन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती हैं– **खेती, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम**।

खेती

- खेती में स्वयं की या पट्टे की भूमि पर व्यक्तिगत और समूह दोनों की मांग शामिल होती है।
- खेती की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता बीज, उर्वरक, सब्सिडी, तकनीकी सलाह या प्रशिक्षण आदि के रूप में हो सकती है।
- खेती से संबंधित मांगों पर विचार ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपलब्ध निधि एवं साथ ही अन्य विभागों की उपलब्ध योजनाएं से किया जा सकता है।
- विभिन्न विभागों की धनराशि के साथ–साथ उपलब्ध योजनाएं।
- कृषि विभाग, बागवानी विभाग, भूमि, मृदा और जल संरक्षण विभाग, सिंचाई विभाग, रेशम उत्पादन विभाग।

पशुपालन

- गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी आदि पालने की मांग।
- पशुपालन गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता यथा शेडों का निर्माण, चारे हेतु सब्सिडी, वैक्सीन/टीके, बीमा एवं अन्य वित्तीय सहायता।

- पशुपालन से संबंधित मांगों पर विचार ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपलब्ध निधि एवं साथ ही अन्य विभागों की उपलब्ध योजनाएं से किया जा सकता है।
- पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग।

सूक्ष्म उद्यम

- सूक्ष्म उद्यम की मांग व्यक्तिगत भी हो सकती है और समूह की भी।
- सूक्ष्म उद्यमों के प्रकार उत्पादन (पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना आदि), व्यापार (किराना स्टोर, कपड़े की दुकान आदि) और सेवाओं (ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां आदि) से भिन्न हो सकते हैं।
- विभिन्न सहायताएँ जैसे कि सब्सिडी, अनुदान, प्रशिक्षण, विपणन सहायता और आकस्मिक व्यय आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित मांगों पर विचार किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध निधि के साथ–साथ विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाएँ।
- सूक्ष्म लघु और मध्यम एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।

योजना तैयारी के चरण

एसएचजी स्तर पात्रता डेटा संग्रहण:

एसएचजी बैठकें आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक एसएचजी की जानकारी दर्शाने के लिए सुविधादाता द्वारा प्रपत्र भरा जाएगा

ग्राम संगठन की योजना की तैयारी और समेकन

ग्राम संगठन की सारांश शीट (Summary sheet) भरी

ग्राम पंचायत स्तर की प्राथमिकता और समेकन

ग्राम पंचायत स्तर पर पात्रता की मांग की प्राथमिकता व समेकन

योजना तैयार करने की प्रक्रिया

एसएचजी स्तर की आजीविका मांग की तैयारी

- एसएचजी की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी।
- एसएचजी के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- एसएचजी सदस्यों को एक घेरे में बैठना चाहिए जबकि सुविधाकर्ता द्वारा एसएचजी स्तर की आजीविका योजना प्रारूप में मांगों को भरा जायेगा।
- सुविधा प्रदाता को मांग एकत्र करने से पहले प्रत्येक क्षेत्र के अनुरूप प्राप्त होने वाले सहायता/सहयोग के प्रकार को स्पष्ट करना होगा ताकि एसएचजी सदस्य कोई अमान्य मांग न रखें।

- फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रारूपों की प्रविष्टियाँ में दिए गए प्राथमिकता मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में की गई हैं।
- फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस चरण के दौरान **प्राथमिकता के लिए रैंक** वाला कॉलम खाली छोड़ दिया जाए।
- फैसिलिटेटर को लाभार्थियों के नाम और एसएचजी स्तर की आजीविका योजना प्रारूप में अन्तिम रूप से भर कर तैयार किये गये डेटा को पढ़ना होगा

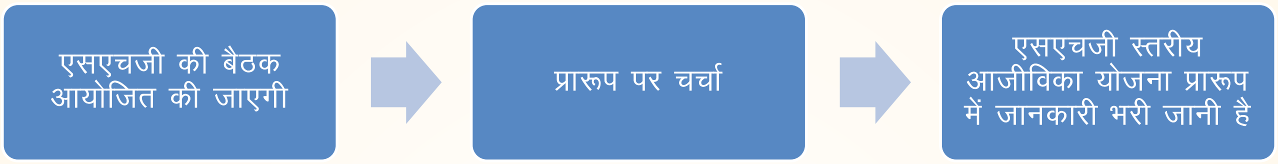

वीओ योजना की तैयारी और समेकन

- वीओ के तहत सभी एसएचजी के लिए एसएचजी स्तर की आजीविका योजना प्रारूप तैयार होने के बाद, एक वीओ बैठक आयोजित की जानी चाहिए
- सभी एसएचजी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एसएचजी से दो सदस्यों को वीओ बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- इस बैठक में एसएचजी स्तर की आजीविका योजना प्रारूप के आधार पर वीओ सारांश शीट तैयार की जानी चाहिए जिसे सारांश शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- दिए गए प्रारूप में उन लाभार्थियों की सूची तैयार करें जो एसएचजी नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं।
- ये लाभार्थी समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों या सबसे गरीब वर्गों से होंगे। यदि वीओ ने वांछित समुदायों के लिए कोई योजना तैयार की है, तो इस योजना को एसएचजी से बाहर के लाभार्थियों की पहचान और उनकी मांगों के लिए एक संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है।

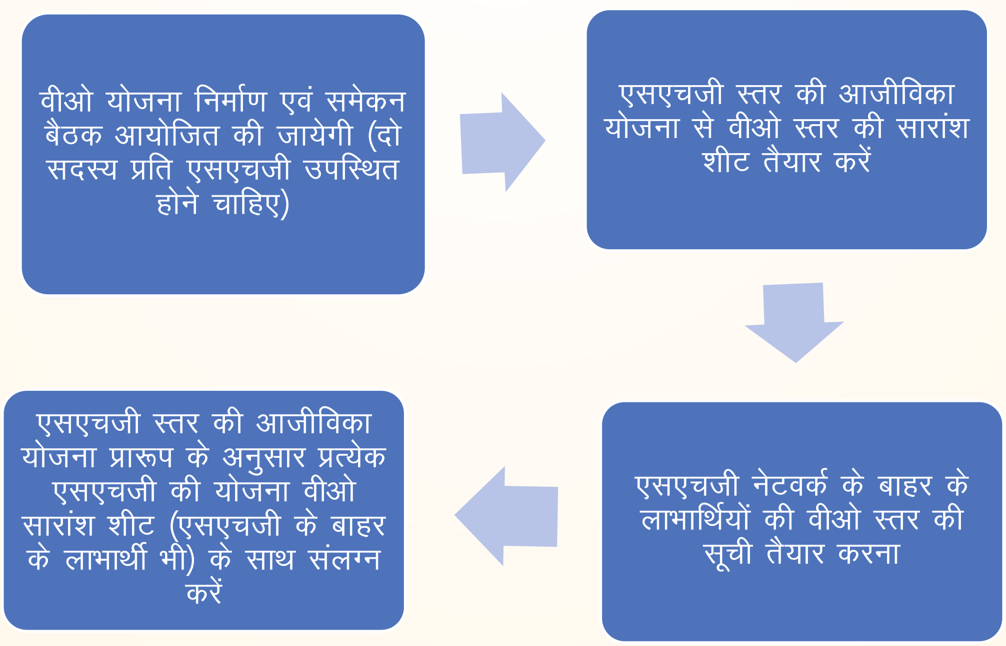

जीपी स्तर की प्राथमिकता और समेकन

- ग्राम पंचायत में प्रत्येक वीओ के लिए वीओ स्तर की सारांश शीट तैयार होने के बाद सभी वीओ के साथ ग्राम पंचायत स्तर की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी वीओ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक में प्रति वीओ से कम से कम दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- एसएचजी स्तर की आजीविका योजना पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान **''प्राथमिकता के लिए रैंक''** शीर्षक वाले कॉलम को भरना होगा।
- जीपी रैंकिंग के भीतर एसएचजी के सभी सदस्यों को ध्यान में रखते हुए रैंक दी जानी चाहिए, संबंधित योजना के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या 1 से N दी जानी चाहिए। N का अभिप्राय है उस योजना के कुल लाभार्थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में 10 एसएचजी हैं और प्रत्येक एसएचजी में संबंधित योजना के लिए 10 लाभार्थी हैं। तब ग्राम पंचायत के भीतर एसएचजी नेटवर्क में कुल लाभार्थी 100 होंगे। इसलिए, रैंकिंग 1 से 100 तक दी जाएगी।
- रैंकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जीपी में सभी वीओ की वीओ सारांश शीट (एसएचजी नेटवर्क के बाहर के लाभार्थियों को शामिल करते हुए) को संदर्भ के रूप में रखते हुए जीपी स्तर की सारांश शीट तैयार की जानी चाहिए।
- सभी एसएचजी की एसएचजी स्तर की आजीविका योजना प्रारूप और सभी वीओ की वीओ स्तर की सारांश शीट को जीपी स्तर की सारांश शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

जीपी स्तर: प्राथमिकीकरण और समेकन बैठक आयोजित की जाएगी (प्रति वीओ से दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए) → एसएचजी सदस्यों का प्राथमिकीकरण → जीपी स्तर पर सारांश शीट तैयार करें → जीपी सारांश शीट के साथ वीओ स्तर की सारांश शीट और एसएचजी स्तर का आजीविका योजना प्रारूप संलग्न करें

ध्यान रखने योग्य बातें

- योजना तैयार करने की प्रक्रिया से पहले वीओ स्तर पर एक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए।
- गतिविधि कैलेंडर में एसएचजी का नाम, तारीख और समय शामिल होना चाहिए जब एसएचजी स्तर का आजीविका योजना प्रारूप भरा जाएगा।
- एसएचजी स्तर की आजीविका योजना तैयार करने की तारीख और समय एसएचजी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक एसएचजी पर एसएचजी स्तर की पात्रता योजना प्रारूप और आजीविका योजना प्रारूप एक ही दिन भरा जा सकता है।
- एसएचजी स्तर और वीओ स्तर के फाइनल प्रारूप पर पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।

सार्वजनिक वस्तुएँ, सेवाएँ और संसाधन विकास योजना

सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधन विकास मांग/आवश्यकता योजना वीपीआरपी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह योजना सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में आ रही कमियों को सूचीबद्ध करती है और इसमें गांव के भीतर सार्वजनिक वस्तुओं और संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाने वाला वीओ स्तर का नक्शा भी शामिल है। क्षेत्र में वीओ स्तर की मैपिंग की सुविधा प्रदान की गई है ताकि गांव में ढांचागत कमियों की पहचान करने और उसके लिए आवश्यकताओं को पहचानने हेतु वीओ सदस्यों की क्षमता बढ़ाई जा सके। यह मानचित्रण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। मैपिंग अभ्यास गांव में एक सामान्य स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां उस वीओ के सभी एसएचजी सदस्य आसानी से पहुंच सकें।

नीचे उल्लिखित तालिकाएँ सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास के तहत आवश्यकताओं के उदाहरण हैं। इस सुझावात्मक सूची को समुदाय की आवश्यकता के आधार पर अद्यतन किया जा सकता है। इस सूची का उद्देश्य सुविधाप्रदाता के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करना है।

सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता

(यह एक सुझावात्मक सूची है, अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय आवश्यकताएं भी शामिल की जा सकती हैं)

क्रं.सं.	आवश्यकताओं/मांग का प्रकार	क्रं.सं.	आवश्यकताओं/मांग का प्रकार
1	सड़कें	19	वीओ कार्यालय
2	आंगनबाडी केन्द्र	20	कूड़ेदान
3	सामुदायिक भवन	21	बुनाई केंद्र
4	जल निकासी	22	पेयजल सुविधा
5	पंचायत भवन	23	पुस्तकालय
6	बाजार/हाट बाजार	24	पुलिया
7	स्ट्रीट लाइट	25	चारदीवारी
8	सामुदायिक शौचालय	26	प्रतीक्षालय
9	स्कूलों में शिक्षक	27	मध्याह्न भोजन प्रावधान
10	कृमि मुक्ति	28	स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नर्सें
11	टीकाकरण के लिए प्रावधान	29	मच्छरदानी
12	हाथ धोने की सुविधा	30	स्कूलों में वर्दी/यूनीफार्म
13	अनाज भंडारण सुविधाएं/गोदाम	31	सार्वजनिक स्थानों पर शिशु आहार कक्ष
14	अनाज सुखाने का मंच	32	उत्पादक समूहों के लिए सामान्य केंद्र
15	हथकरघा लघु उद्योग इकाइयां	33	स्कूल का फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)
16	महिला पुलिस अधिकारी	34	उप–केंद्रों के लिए उपकरण (दवाएं, सीरिंज, बीपी
17	सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें	35	उपकरण)
18	भस्मक/इंसीनरेटर	36	सफाई कर्मचारी
		37	सांस्कृतिक केंद्र और क्लब

संसाधन विकास आवश्यकताएं/मांगें (यह एक सुझावात्मक सूची है, अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय आवश्यकताएं भी शामिल की जा सकती हैं)	
1. तालाब 2. कुएँ 3. नदी बांध 4. वर्षा जल संचयन 5. ट्यूबवेल 6. वृक्षारोपण (पेड़, आम, बांस, सुपारी आदि) 7. हाथी खाई/हाथी से बचाव हेतु गडढे 8. औषधीय पौधों की नर्सरी	9. कृषि बांध 10. रिंग वेल 11. तटबंध 12. चेक बांध 13. भूमि विकास 14. बोरवेल 15. वन बाड़ लगाना 16. आर्द्रभूमियों का प्रबंधन

योजना तैयारी के चरण

वीओ योजना की तैयारी और समेकन:	एक वीओ स्तर पर मानचित्रण अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास के तहत आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए दिए गए प्रारूप को भरना होगा।
जीपी में प्रत्येक वीओ की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास की आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण और समेकन।	जीपी स्तर प्राथमिकीकरण और समेकन

योजना तैयार करने की प्रक्रिया

वीओ योजना की तैयारी और समेकन

- सभी एसएचजी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एसएचजी से दो सदस्यों को वीओ बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- एक वीओ लेवल मैपिंग अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए।
- वीओ द्वारा संचालित मैपिंग प्रक्रिया के आधार पर फैसिलिटेटर द्वारा वीओ स्तर की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास प्रारूप को भरा जाएगा।
- फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस चरण के दौरान "प्राथमिकता के लिए रैंक" कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

वीओ योजना की तैयारी एवं समेकन बैठक आयोजित की जाएगी

(प्रति एसएचजी 2 सदस्य उपस्थित होने चाहिए)

→

मैपिंग अभ्यास वीओ स्तर पर आयोजित किया जाता है।

→

वीओ स्तर सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास प्रारूप में भरी जाने वाली जानकारी

जीपी स्तर प्राथमिकीकरण और समेकन

- ग्राम पंचायत में प्रत्येक वीओ के लिए वीओ स्तर की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास प्रारूप को भरने के बाद सभी वीओ के साथ ग्राम पंचायत स्तर की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी वीओ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक में प्रति वीओ से कम से कम दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- वीओ स्तर की योजना पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। ''प्राथमिकता के लिए रैंक'' शीर्षक वाले कॉलम को भरना होगा।
- एसएचजी स्तर की आजीविका योजना पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान ''प्राथमिकता के लिए रैंक'' शीर्षक वाले कॉलम को भरना होगा।
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सभी वीओएस द्वारा रखी गई मांगों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए रैंक दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत उत्पन्न मांग के अनुसार रैंकिंग 1 से **N** दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में 5 वीओ हैं और प्रत्येक वीओ ने 10 मांगें प्रस्तुत की हैं तब ग्राम पंचायत के भीतर एसएचजी नेटवर्क में कुल 50 मांगें होंगी इसलिए, रैंकिंग 1 से 50 तक दी जाएगी।
- रैंकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जीपी में सभी वीओ की वीओ सारांश शीट को संदर्भ के रूप में रखते हुए जीपी स्तर की सारांश शीट तैयार की जानी चाहिए।
- जीपी स्तर की सारांश शीट वीओ स्तर की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास प्रारूप को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए।
- सभी वीओ की वीओ स्तर की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास प्रारूप को जीपी स्तर के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

जीपी स्तर की प्राथमिकता और समेकन बैठक आयोजित की जाएगी

(प्रति वीओ दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए)

→ जीपी स्तर की सारांश शीट तैयार करें

→ सभी वीओ की सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास की मांग को एक साथ संलग्न किया जाएगा

सामाजिक विकास योजना

सामाजिक विकास योजनाएँ ऐसे प्रस्ताव हैं जो समुदाय के लिए कुछ विशिष्ट सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। यह योजनाएं ग्राम संगठन के सदस्यों के बीच गहन चर्चा के उपरान्त सामने आई हैं जिनमें मुद्दों की पहचान और उन्हें हल करने के उपायों पर ज़ोर दिया गया। यह प्रस्ताव उनके अपने जीवन के अनुभवों से तैयार हुआ है। इसलिए, सामूहिक स्वामित्व और कार्रवाई उनकी सामाजिक वास्तविकताओं को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।

जीपीडीपी का दायरा स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि तक ही सीमित नहीं है। योजनाएँ समुदाय द्वारा संचालित कम लागत/बिना लागत वाले हस्तक्षेप भी हो सकते हैं। सामाजिक विकास योजनाएँ "जीपीडीपी में कम लागत/बिना लागत" की माँग की छतरी के अंतर्गत आ सकती हैं।

क्र. सं	सामाजिक मुद्दा	गतिविधियां
1	शराब	• अवैध शराब की दुकानें बंद करना • वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना • पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना • नशामुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं
2	दवाई का दुरूपयोग(दवाइयों का नशे के लिये प्रयोग)/ड्रग एब्यूज	• परामर्श और चिकित्सा के लिए सेवाएँ • नशामुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं • सामुदायिक सतर्कता टीमों का गठन
3	वयस्क निरक्षरता	• ब्लॉक/जिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ना, यदि कोई हो • वयस्क साक्षरता कक्षाओं की शुरूआत • साक्षरता बढ़ाने के लिए वातावरण निर्माण जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कहावतों वाले पोस्टर चिपकाना • स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए संसाधन जुटाना • व्यस्क विद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य साक्षरता मिशन के साथ संबंध स्थापित करना
4	स्कूल छोड़ना	• विद्यालय प्रबंधन समिति को दोबारा सक्रिय करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालयों में पुनः नामांकन • स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए संसाधन जुटाना • स्कूलों में शिक्षक, लड़कियों के लिए शौचालय जैसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना

		• मध्याह्न भोजन योजना जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
5	कुपोषण	• आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में न्यूट्री–गार्डन/किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना • स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच • आंगनबाड़ियों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की नियमित निगरानी और अति कुपोषित, अल्प कुपोषित, गंभीर रूप से कम वजन, मध्यम कम वजन वाली श्रेणियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों की विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। • ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, आंगनबाड़ियों में मातृ समिति जैसी विभिन्न समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करना • आंगनबाड़ियों में प्रदान किए जाने वाली सेवाओं जैसे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना • नियमित अंतराल पर टीकाकरण, कृमिनाशक गोलियाँ, आयरन फोलिक गोलियाँ जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6	महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि)	• सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए सहायता केंद्र/लिंग संसाधन सेल की स्थापना करना। • महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों का ग्राम स्तर पर मानचित्रण • महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कक्षाएं आयोजित करना • ग्राम पंचायत/समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता कक्ष स्थापित करना • नजदीकी पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारियों की मांग • लिंग संवेदीकरण कक्षाएं • हिंसा से बचे लोगों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना
7	बाल विवाह	• समुदाय का संवेदीकरण • ग्राम पंचायत/समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता कक्ष स्थापित करना • 18 वर्ष की आयु तक बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना
8	पर्यावरण संबंधी मुद्दे	• वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाना • स्कूलों में पर्यावरण क्लबों को बढ़ावा देना • कपड़े के थैलों के उपयोग के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करें • घरेलू स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण की शुरूआत • ग्राम पंचायत/समुदाय स्तर पर अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन जैसी सुविधाओं की शुरूआत • आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का गठन
9	दहेज	• विधिक जागरूकता कक्षाओं का आयोजन • ग्राम पंचायत/समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता कक्ष स्थापित करना • पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना • समुदाय का संवेदीकरण • सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए सहायता केंद्र/लिंग संसाधन सेल की स्थापना करना।
10	मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)	• पुलिस थानो में शिकायत दर्ज कराना • कानूनी जागरूकता के लिए पुलिस स्टेशन से जुड़ना • जिला कानूनी सेवाओं के साथ बचे लोगों के लिए एक लिंक स्थापित करना अधिकार • सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्र/लिंग संसाधन सेल की स्थापना करना।

11	सामाजिक बहिष्कार (बेघर व्यक्ति, ट्रांसजेंडर से संबंधित व्यक्ति समुदाय, प्रवासी मजदूर, बंधुआ मजदूर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, स्वच्छता कार्यकर्ता आदि)	• समुदाय का संवेदीकरण • खाद्यान्न, कपड़े आदि आवश्यक सेवाओं का प्रावधान। • उन्हें राशन कार्ड सहित बुनियादी अधिकारों तक पहुंचने में मदद करना, • आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्र। • मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के साथ जुड़ना।

योजना तैयारी के चरण

वीओ योजना की तैयारी और समेकन

वीओ स्तर पर सामाजिक विकास योजनाएं तैयार की जानी हैं

ग्राम पंचायत में सभी वीओ के सामाजिक विकास योजना का समेकन

जीपी स्तर समेकनः

- सभी एसएचजी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एसएचजी से दो सदस्यों को वीओ बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- वीओ के सदस्यों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर फैसिलिटेटर द्वारा सामाजिक विकास योजना तैयार की जाएगी।

वीओ योजना की तैयारी और समेकन बैठक आयोजित की जाएगी (प्रति एसएचजी दो सदस्य उपस्थित होने चाहिए) → एसडीपी पर चर्चा (सामाजिक मुद्दों की पहचान, उन्हें संबोधित करने के साधन, गतिविधियों की सूची और हितधारकों की भूमिका) → फैसिलिटेटर द्वारा सामाजिक विकास योजना तैयार की जाएगी

जीपी स्तर पर समेकन

- एक ही सामाजिक मुद्दे पर वीओ स्तर की सामाजिक विकास योजनाओं को एक योजना में बनाया जा सकता है।
- कई सामाजिक मुद्दों के मामले में, सामाजिक मुद्दे के अनुरूप प्रत्येक एसडीपी को जीपी स्तर की सारांश शीट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- जीपी स्तर की सारांश शीट को वीओ स्तर के एसडीपी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।
- सभी वीओएस के वीओ स्तर एसडीपी को जीपी स्तर की सारांश शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

ध्यान रखने योग्य बातें

1. वीओ स्तर की सामाजिक विकास योजना तैयार करने से पहले, वीओ के सदस्यों द्वारा सामाजिक मुद्दों के विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेना चाहिए।
2. वीओ स्तर की एसडीपी तैयारी की तिथि एवं समय निश्चित होना चाहिए।
3. वीओ के सभी सदस्यों को तारीख और समय अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।
4. सार्वजनिक भलाई, सेवाओं और संसाधन विकास मानचित्रण प्रक्रिया के साथ पात्रता और आजीविका योजना की वीओ सारांश शीट एसडीपी तैयारी के दिन ही तैयार की जा सकती है।

जीपीडीपी में वीपीआरपी का एकीकरण और फालो–अप

वित्त आयोग द्वारा स्थानीय स्वशासन को भारी अनुदान देने के संदर्भ में, जीपीडीपी के साथ वीपीआरपी दस्तावेज का एकीकरण महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य है कि जीपी इस अनुदान और अन्य संसाधनों (जिन तक उनकी पहुंच है), का निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिसमें सबकी भागीदारी हो । एसएचजी द्वारा तैयार की गई वीपीआरपी योजना में शामिल पात्र व्यक्तियों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से जोड़ना, विकास संबंधी निर्माण एवं सामाजिक मुद्दों/विषयों से संबंधित कार्यो को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू कराने हेतु वीपीआरपी का जीपीडीपी में समावेशन/एकीकरण नितान्त आवश्यक है।

वीपीआरपी में उल्लिखित प्राथमिकता वाली जरूरतों और स्थानीय स्वशासन के पास उपलब्ध मौजूदा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जीपीडीपी को साकार किया जाता है।

योजनाओं का एकीकरण

ऐसे एकीकरण के लिए निम्न प्रक्रियाओं की संकल्पना की जाती है (नीचे चित्र देखें):

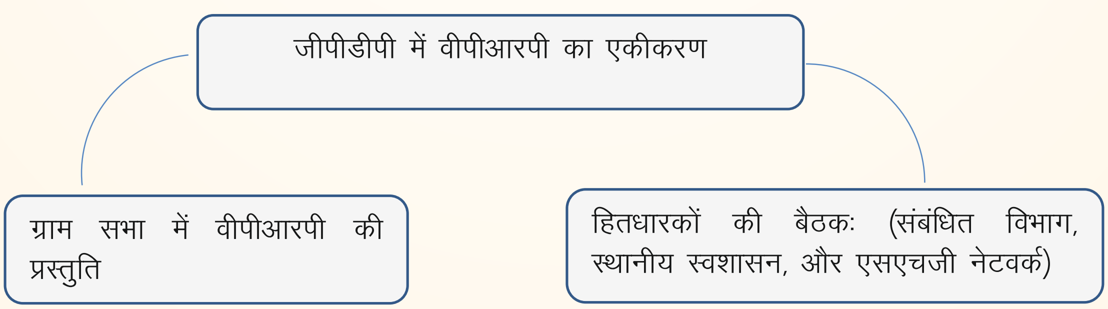

जिस मंच के माध्यम से योजनाओं का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है वह ग्राम सभा का मंच है। जो योजना ग्राम सभा में प्रस्तुत की गई है और उसे मंजूरी मिल गई है उसे पंचायत की विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, एक हितधारकों की बैठक भी इसे सुनिश्चित कर सकती है। एसएचजी नेटवर्क के सदस्यों, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के साथ–साथ रोजगार सेवकों, सचिवों और संबंधित विभाग के सामुदायिक कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के बीच एक परामर्शी बैठक से भी सार्थक चर्चा और विचार–विमर्श हो सकता है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्शी बैठकों के माध्यम से, ज़रूरतों की पुनः मांग और अधिकता को उजागर किया जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है।

विभाग के साथ कार्य करना

- एसएचजी नेटवर्क, सामुदायिक और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (क्षेत्र समन्वयक/क्लस्टर समन्वयक/पीआरपी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीपीआरपी की संबंधित मांगों का पालन किया जाए। ब्लॉक मिशनों को प्रत्येक योजना को साकार करने के लिए सौंपी जाने वाली जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट होना होगा। उन्हें फॉलोअप के लिए विशेष रणनीति तैयार करनी चाहिए।

- योजनाओं को प्रस्तुत करने के बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को लाभों तक पहुंच और उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में संबंधित विभागों से संपर्क करना चाहिए।

वीपीआरपी योजनाएं: फालो–अप और जिम्मेदारी

योजनाएँ	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का समर्थन करने वाली जिम्मेदार एजेंसियां*
हकदारी/पात्रता योजनाएँ	संबंधित विभाग
आजीविका योजनाएँ	आजीविका सृजन और सहयोग से संबंधित बीएमएमयू संबंधित विभाग
सार्वजनिक वस्तुएँ, सेवाएँ और संसाधन विकास योजना	संबंधित विभाग
सामाजिक विकास योजनाएँ	बीएमएमयू और संबंधित विभाग

*योजनाएं जीपीडीपी के लिए बनाई जाती हैं और योजनाओं के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। हालाँकि, तालिका इन योजनाओं को साकार करने में ग्राम पंचायतों का समर्थन करने में अन्य विभागों की जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

जीपीडीपी और वीपीआरपी अपलोड करना

फाइनल जीपीडीपी ई–ग्रामस्वराज वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा

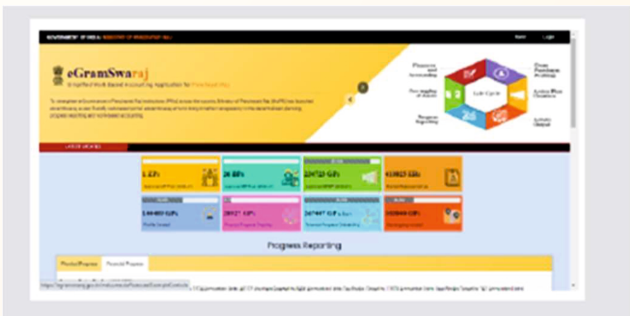

वीपीआरपी डिमांड प्लान को ग्राम सभा के आंकड़ों के साथ gpdp.nic.in पर अपलोड किया जाएगा

फालो–अप में एसएचजी नेटवर्क की भूमिका

- वीओ की मासिक बैठकों के एजेण्डा में यह सुनिश्चित करें कि जीपीडीपी में रखी गई वीपीआरपी मांगों के समावेश और उपलब्धि की स्थिति को ट्रैक किया जाए।
- आवश्यकताओं के समावेश और उपलब्धि की स्थिति को दर्शाने के लिए ग्राम संगठन की कार्यवृत्त पुस्तिका को नियमित रूप से अपडेट करें।
- स्थानीय स्वशासन के साथ नियमित भेंट करती रहें।

❖❖❖

संलग्नकः1

ग्राम पंचायतों हेतु नवीन व्यवस्थाएं

(गर्वमेन्ट ई–मार्केट प्लेस/**GeM**, आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण एवं ओ.एस.आर. खाते में भुगतान हेतु यू.पी.आई. आधारित क्यू.आर. कोड)

1. ग्राम पंचायतों में गर्वमेन्ट ई–मार्केट प्लेस/GeM की व्यवस्था

प्रदेश की पंचायतों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित ग्राम पंचायतों में गर्वमेन्ट ई–मार्केट प्लेस/GeM की व्यवस्था लागू किया जाना है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 24.04.2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई–ग्राम स्वराज एवं जेम पोर्टल इण्टरफेस को प्रारम्भ किया गया है, जिसके क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान से पंचायत स्तर पर की जा रही खरीद में दिनांक 02 अक्टूबर,2023 से जेम पोर्टल इण्टरफेस को अनिवार्य कर दिया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में सेवाओं एवं सामग्री क्रय की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम तथा प्रभावी बनाये जाने की दिशा में ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं जेम को एकीकृत किये जाने की अनिवार्यता से स्थानीय उत्पादक/सहकारिता/कारीगर/स्वयं सहायता समूह आदि सरकारी संस्थाए अपनी उत्पाद बेचने में सक्षम बनेंगे जिससे **"वोकल फॉर लोकल"** की भावना प्रबल होगी। जेम लागू करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है–

- जेम (GeM) पोर्टल पर त्रि–स्तरीय पंचायतों के पंजीकरण के लिए शासकीय (nic.in/gov.in) ई–मेल एवं आधार नम्बर के साथ–साथ उससे लिंक मोबाइल नं0 की आवश्यकता होगी।
- शासकीय ई–मेल तैयार कराये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा, ई–ग्राम स्वराज के DAdmin लॉगिन से एक्सेल शीट का प्रपत्र डाउनलोड कर डाटा तैयार कर अपलोड किया जायेगा, जिसके आधार पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जेम (GeM) के उपयोगार्थ ई–मेल आई.डी. तैयार की जायेगी।
- जेम (GeM) पोर्टल पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान का **प्राइमरी यूजर** के रूप में पंजीकरण किया जायेगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी का **सेकेण्डरी यूजर/Buyer & Consignee** के रूप में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।

- जेम (GeM) पोर्टल पर प्राइमरी यूजर के रूप में पंजीकृत प्रतिनिधियों को निम्न प्रकार से सत्यापित किया जाना होगा :–

क्र. स.	स्तर	यूजर आई.डी. के प्रकार	पदनाम	सत्यापित करने वाले अधिकारी का पदनाम/माध्यम
1	ग्राम पंचायत	प्राइमरी यूजर	ग्राम प्रधान	सम्बंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं0)।
		सेकेण्डरी यूजर/Buyer & Consignee	ग्राम पंचायत सचिव	पंजीकृत ई–मेल पर जेम द्वारा भेजे गये लिंक के माध्यम से स्वयं के स्तर से सत्यापित।

- ➢ जेम (GeM) पोर्टल पर पंजीकृत प्राइमरी यूजर द्वारा ही अपनी जेम पोर्टल की आई.डी. से **सेकेंडरी यूजर /Buyer & Consignee** को पंजीकृत किया जा सकता है तथा प्राइमरी यूजर द्वारा जेम पोर्टल पर एक या एक से अधिक **सेकेंडरी यूजर/Buyer & Consignee** को पंजीकृत किया जा सकता है।
- ➢ जेम (GeM) पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **सेकेंडरी यूजर/Buyer & Consignee** के रूप में पंजीकृत किये जाने के पश्चात जेम (GeM) पोर्टल पर आवश्यक सेवा एवं सामग्री क्रय की जायेगी, जिसका ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेकर लॉगिन से भुगतान वाऊचर बनाते समय Expenditure ऑप्शन पर जेम (GeM) का चयन करते हुए नियमानुसार ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. इण्टरफेस पर मेकर व चेकर की आई.डी. से भुगतान किया जायेगा।

जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु प्रोक्योरमेंट मैनुअल के प्रस्तर–8.4 के बिन्दु 10 की व्यवस्था के अन्तर्गत सामग्री के क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के **General Financial Rules** – 2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की गई है :–

''जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उन के लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल अथवा सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।''

क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जाना है :–

- ❖ **Amendments General Financial Rules – 2017 के नियम 149 अन्तर्गत रूपये 25,000/–** तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी एसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यकता गुणवत्ता, विशिष्टियॉ एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता हो।
- ❖ **रूपये 25,000/– से अधिक और रूपये 5,00,000/– तक** का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में सबसे कम मूल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परन्तु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी, जो आवश्यकता गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों। जेम पर उपलब्ध ऑनलाईन बिडिंग और ऑनलाईन रिवर्स ऑक्शन के टूल्स का उपयोग भी क्रेता द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस सम्बंध में निर्णय लेता है।
- ❖ **रू0 5,00,000/– से उपर** के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाईन बिडिंग/रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

जेम (GeM) पोर्टल पर सामग्री एवं सेवा के क्रय हेतु स्थानीय सेवा प्रदाताओं को Seller के रूप में प्रोत्साहित कर पंजीकरण कराया जाए ताकि वे पंचायत को निर्धारित मापपदंड अनुसार पारदर्शी रूप से सामग्री एवं सेवा स्थानीय स्तर पर प्रदान कर सकें।

2. प्रदेश की ग्राम पंचायतों का आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण/ISO Certification

प्रदेश की ग्राम पंचायतों का आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण कराये जाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी है। ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलेवरी को प्राथमिकता से दिया जा रहा है। ISO Certification

के माध्यम से इन सेवाओं का मानकीकरण करने से पंचायतों को एक आदर्श पहचान मिलेगी जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए अनुकरणीय उदाहरण होगा।

ISO Certificate प्राप्त करने के लिए National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) अन्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से आई.एस.ओ. सार्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है।

ISO Certificate यथा ISO 9001:2015 Quality Management Systems (QMS)– "Certification Standard" को प्राप्त करने हेतु QMS टूल्स का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा, जिससे ग्राम पंचायतों को अपने कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख–रखाव, जन शिकायतों का निस्तारण, कर्मचारियों का व्यवहार जैसी संबंधित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा ISO Certification हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं– ग्राम पंचायतों को ISO Certificate प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों में निम्न व्यवस्थाएं किया जाना होगा जिससे कीः–

- क्वालिटी पॉलिसी
- क्वालिटी मैनुवल
- ग्राम सचिवालय / पंचायत भवन क्रियाशील हो
- ग्राम सचिवालय में फ्रन्ट ऑफिस की उपलब्धता
- ग्राम सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं वार्ड सदस्यों का विवरण दीवार लेखन / फ्लेक्सी बोर्ड पर प्रदर्शन
- नोटिस बोर्ड की व्यवस्था
- शिकायत / सुझाव बॉक्स / रजिस्टर की उपलब्धता
- ग्राम सचिवालय द्वारा दी जाने वाली सर्विसे्ज का दीवार लेखन / फ्लेक्सी बोर्ड पर प्रदर्शन
- रिकार्ड रूम की व्यवस्था / स्थापना जिसमें पत्रावलियों को अलमीरा में व्यवस्थित किया जाए
- सभी अलमारियों को चेक लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए
- रिकार्ड रूम में पत्रावलियों के रख–रखाव एवं पत्रावलियों का संक्षिप्त विवरण का कम्प्यूटर में सूचि बद्ध किया जाना जिससे आसानी से कम समय में संबंधित पत्रावलियों को प्राप्त किया जा सके
- ग्राम सचिवालय द्वारा निर्गत की जा रही सर्विस में लगने वाला समय, कर्मचारियों का व्यवहार आदि पर आगंतुक से फीडबैक प्राप्त करना
- संस्था संरचना (आर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर)
- फायर फाइटिंग ट्रेनिंग
- रिस्क असेसमेंट आल प्रोसेस
- कूड़ादान की व्यवस्था
- ग्राम सचिवालय में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक के बैठने हेतु पृथक–पृथक व्यवस्था
- कोडिंग–सभी कार्यालयों में
- संकेतक बोर्ड
- महत्वपूर्ण नंबर का प्रदर्शन
- ग्राम पंचायत एवं समिति की बैठक हेतु सभाकक्ष की व्यवस्था
- आगंतुक हेतु प्रतीक्षालय की व्यवस्था
- प्रतीक्षालय कक्ष में आगन्तुकों हेतु पेयजल एवं टी0वी0 / अखबार / पत्रिका की उपलब्धता
- ग्राम सचिवालय में महिला एवं पुरूष हेतु पृथक–पृथक शौचालय तथा दिव्यांग हेतु रैम्प की व्यवस्था हो

- शिशु फीडर कक्ष की व्यवस्था
- आवश्यक अभिलेखों जैसे—ग्राम पंचायत, समितियों एवं ग्राम सभा के बैठकों की कार्यवाही रजिस्टर, जन्म—मृत्यु रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर आदि की व्यवस्था।
- मैनजमेंट रिव्यु मीटिंग
- ग्राम पंचायतों में ISO Certificate कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु विभागीय पोर्टल पर पेज/मोबाईल एप विकसित किया जा सकेगा

3. यू.पी.आई. इनेबल्ड क्यू.आर. कोड के माध्यम से ओ.एस.आर. खाते में भुगतान

ग्राम पंचायत में स्थापित ग्राम सचिवालय में डिजिटल/कैशलेस भुगतान हेतु पंचायतों को यू.पी.आई. इनेबल्ड किया जाना आवश्यक है। उक्त हेतु पंचायतों में यू.पी.आई. आधारित क्यू. आर. कोड एवं साउड बॉक्स स्थापित किया जाना है। यह पहल डिजिटल भुगतान को निर्बाध रूप से अपनाने में सहायक सिद्ध होगी। ग्राम पंचायतों सचिवालय में स्थित जनसुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से ग्रामीण जनमानस को ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं का लाभ पहुँचाने हेतु निर्धारित शुल्क आवेदनकर्ता से पंचायत के ओ.एस.आर. खाते में यू.पी.आई. इनेबल्ड क्यू.आर. कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ—साथ पंचायतें स्वयं के स्रोत से होने वाली आय को संबंधित व्यक्ति/फर्म से यू.पी.आई. इनेबल्ड क्यू.आर. कोड के माध्यम से ओ.एस.आर. के खाते में प्राप्त कर सकती है।

स्रोतः

- उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947
- पंचायती राज विभागीय वेबसाइट—panchayatiraj.up.nic.in
- Village Poverty Reduction Plan- Handbook (2020)- Kudumbshree, Kerala
- Wikipedia

❖❖❖

Notes

Notes

Notes

पंचायती राज

सम्पर्क सूत्र

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)

लोहिया भवन, ई-6, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0

ई–मेल
prit.lko@up.gov.in

ट्विटर
@pritlkoup

फेसबुक
Panchayati Raj Institute of Training-PRIT

मुद्रक : अम्बर प्रेस प्रा0 लि0